सिविल सेवा परीक्षा...

संस्कृति IAS

# सामान्य अध्ययन

## आधुनिक भारत का इतिहास

भाग-2

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

9555-124-124 sanskritiiasedu@gmail.com

प्रिय विद्यार्थी,

सबसे पहले संस्कृति IAS के 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' का हिस्सा बनने पर आपको बहुत बधाई।

सिविल सेवा परीक्षा, जिसे आई.ए.एस. परीक्षा के नाम से जाना जाता है; यह देश की प्रतिष्ठित लोक सेवाओं में चयन के लिये आयोजित होने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षा है। आज देश में युवाओं की एक बड़ी संख्या है जो सिविल सेवाओं में जाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। परंतु, गंभीरतापूर्वक इस परीक्षा की तैयारी करना हर किसी के लिये संभव नहीं हो पाता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिये दिल्ली, प्रयागराज या लखनऊ जैसे शहरों में रहना किसी भी निम्न-मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी के लिये संभवप्राय नहीं होता; दूसरा, एक बड़ी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की भी है जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों के लिये मुख्य समस्या समय की होती है क्योंकि कोचिंग संस्थान में जाकर तैयारी करने में डेढ़-दो वर्ष का समय लगता है, जबकि नौकरी से इतनी लंबी छुट्टी मिलनी प्राय संभव नहीं होती।

ऐसे ही विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए संस्कृति IAS ने 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' की शुरुआत की है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, कम फीस में विद्यार्थियों को किसी भी कोर्स की पूरी पाठ्य सामग्री उनके घर पर भेजी जाती है। यह पाठ्य सामग्री सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप होती है। अगर कोई विद्यार्थी गंभीरता से इस पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है तो उसकी इतनी तैयारी निश्चित रूप से हो जाएगी कि वह सिविल सेवा परीक्षा को पास कर सके।

हालाँकि, किसी भी विद्यार्थी के दिमाग में यह संशय उत्पन्न होना स्वभाविक है कि अगर इस पाठ्य सामग्री को पढ़कर यह परीक्षा पास हो सकती है तो फिर कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता है? अत: यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सिर्फ संपूर्ण पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। क्लासरूम प्रोग्राम में पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त विद्यार्थी की तैयारी को प्रभावी बनाने के लिये कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे नियमित कक्षा, क्लास टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, शंका निवारण सत्र, नियमित रूप से अध्यापक से मिलकर तैयारी को बेहतर बनाने की सुविधा इत्यादि।

अत: 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' को क्लासरूम प्रोग्राम का विकल्प नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि, ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश दिल्ली या प्रयागराज जैसे शहरों में जाकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिये 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम' अपनी प्रकृति में निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ विकल्प है।


**विधिक घोषणाएँ**

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक, उससे किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट: संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

# विषय-सूची


| इकाई | टॉपिक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 10 | राष्ट्रीय आंदोलन | 1-21 |
| 11 | बंगाल विभाजन | 22-38 |
| 12 | क्रांतिकारी आंदोलन | 39-53 |
| 13 | गांधीवादी आंदोलन | 54-69 |
| 14 | असहयोग आंदोलन एवं स्वराज पार्टी | 70-83 |
| 15 | साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट एवं लाहौर अधिवेशन | 84-93 |
| 16 | सविनय अवज्ञा आंदोलन | 94-107 |
| 17 | सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट | 108-114 |
| 18 | अगस्त प्रस्ताव व क्रिप्स मिशन | 115-119 |
| 19 | भारत छोड़ो आंदोलन | 120-128 |
| 20 | 1942-47 के बीच का भारत | 129-144 |
| 21 | समाजवादी आंदोलन | 145-162 |
| 22 | ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास | 163-179 |
| 23 | देशी रियासत | 180-185 |
| 24 | भारत में सांप्रदायिकता का विकास | 186-197 |


❑❑❑❑❑

# विस्तृत अनुक्रम


| इकाई | टॉपिक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 10 | **राष्ट्रीय आंदोलन** | **1-21** |
| | • भारत में राष्ट्रवाद का उदय<br>➤ पृष्ठभूमि<br>➤ राष्ट्रवाद के उदय के कारण<br>• कॉन्ग्रेस के गठन से पूर्व की स्थापित प्रमुख संस्थाएँ<br>➤ बंगाल में राजनीतिक संस्थाएँ<br>➤ बंबई में राजनीतिक संस्थाएँ<br>➤ मद्रास में राजनीतिक संस्थाएँ<br>➤ कॉन्ग्रेस से पूर्ववर्ती आंदोलन<br>➤ पूर्ववर्ती संस्थाओं की सीमाएँ<br>• भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की स्थापना<br>➤ भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के उद्देश्य<br>➤ कॉन्ग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित मतभेद<br>➤ कॉन्ग्रेस के प्रति विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया<br>• राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण<br>➤ उदारवादियों की कार्यप्रणाली<br>➤ उदारवादियों की प्रमुख मांगें<br>➤ उदारवादी काल में जनसाधारण की भूमिका<br>➤ उदारवादियों की उपलब्धियाँ<br>➤ उदारवादियों की सीमाएँ<br>• भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण/ उग्रवादी आंदोलन, 1905-1913 ई.<br>➤ उग्रवाद के उदय के कारण<br>➤ सैद्धांतिक आधार एवं कार्यपद्धति<br>➤ उग्रवादियों का योगदान<br>➤ उग्रवादी आंदोलन की सीमाएँ<br>➤ उदारवादी तथा उग्रवादी आंदोलनों में अंतर | |
| 11 | **बंगाल विभाजन** | **22-38** |
| | • परिचय<br>• स्वदेशी आंदोलन<br>➤ पृष्ठभूमि<br>➤ आंदोलन के कार्यक्रम<br>➤ आंदोलन का प्रसार एवं उसकी विशेषताएँ<br>➤ स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव<br>➤ स्वदेशी आंदोलन का अंत एवं असफलता के कारण<br>➤ बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण<br>• कॉन्ग्रेस का विभाजन/सूरत अधिवेशन, 1907 ई.<br>• होमरूल आंदोलन, 1916 ई.<br>➤ परिचय<br>➤ आंदोलन के आरंभ होने के कारण<br>➤ आंदोलन के उद्देश्य<br>➤ आंदोलन की उत्पत्ति एवं प्रसार<br>➤ आंदोलन के कार्यक्रम<br>➤ आंदोलन का अंत एवं उसका कारण<br>➤ आंदोलन की उपलब्धियाँ<br>• कॉन्ग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ई.<br>➤ उग्रवाद का कॉन्ग्रेस में पुनः प्रवेश<br>➤ कॉन्ग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता | |

| इकाई | टॉपिक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 12 | **क्रांतिकारी आंदोलन** | **39-53** |
| | • क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण<br>➤ पृष्ठभूमि<br>➤ क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण<br>➤ पद्धति<br>➤ आरंभ एवं क्षेत्रीय प्रसार<br>➤ विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन<br>➤ कामागाटामारु केस<br>➤ तोषामारू कांड<br>➤ सिल्क पेपर षड्यंत्र<br>• क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण<br>➤ उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ<br>➤ बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन<br>➤ आंदोलन के दमन हेतु किये गए सरकारी प्रयास<br>➤ असफलता के कारण<br>➤ क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन<br>➤ प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के स्वरूप में अंतर<br>➤ मूल्यांकन<br>➤ अन्य स्मरणीय तथ्य | |
| 13 | **गांधीवादी आंदोलन** | **54-69** |
| | • महात्मा गांधी : आरंभिक जीवन एवं दक्षिण अफ्रीका प्रवास<br>• गांधी की विचारधारा<br>➤ गांधी की कार्यपद्धति<br>• गांधी की भारत वापसी<br>• गांधी के आगमन के समय भारत की परिस्थितियाँ<br>• गांधी युग का आरंभ<br>➤ चंपारण सत्याग्रह, 1917 ई.<br>➤ खेड़ा आंदोलन, 1918 ई.<br>➤ अहमदाबाद का श्रमिक विवाद, 1918 ई.<br>• रॉलेट एक्ट, 1919 ई.<br>➤ रॉलेट सत्याग्रह<br>➤ जलियाँवाला बाग हत्याकांड, 1919 ई.<br>• खिलाफत आंदोलन<br>➤ खिलाफत आंदोलन के कारण<br>➤ खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य<br>➤ खिलाफत आंदोलन का घटनाक्रम<br>➤ खिलाफत आंदोलन का पतन<br>➤ खिलाफत आंदोलन के परिणाम एवं योगदान<br>➤ खिलाफत आंदोलन की समीक्षा | |
| 14 | **असहयोग आंदोलन एवं स्वराज पार्टी** | **70-83** |
| | **असहयोग आंदोलन**<br>• असहयोग आंदोलन के कारण<br>• असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम<br>• असहयोग आंदोलन का घटनाक्रम<br>• असहयोग आंदोलन का परिणाम/उपलब्धियाँ<br>• असहयोग आंदोलन की वापसी<br>• असहयोग आंदोलन की समीक्षा<br>**स्वराज पार्टी**<br>• पृष्ठभूमि<br>• स्वराज दल की स्थापना<br>• स्वराज दल की सफलता एवं दमन<br>• स्वराज दल को गांधी का समर्थन<br>• मुड्डीमैन समिति<br>• स्वराज दल का अंत<br>• 1922-27 के दौरान कुछ अन्य राजनीतिक दल एवं आंदोलन | |

| इकाई | टॉपिक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 15 | **साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट एवं लाहौर अधिवेशन** | **84-93** |
| | • साइमन कमीशन, 1927 ई.<br>• नेहरू रिपोर्ट, 1928 ई.<br>• जिन्ना की चौदह–सूत्री मांगें<br>• कॉन्ग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1929 ई. | |
| 16 | **सविनय अवज्ञा आंदोलन** | **94-107** |
| | • पृष्ठभूमि/कारण<br>➤ गांधी जी की 11–सूत्री मांगें<br>• आंदोलन का प्रारंभ<br>➤ दांडी मार्च<br>➤ नमक केंद्रीय मुद्दे के रूप में<br>➤ आंदोलन के कार्यक्रम<br>➤ आंदोलन का प्रसार<br>• गांधी–इरविन समझौता, 1931 ई.<br>• कॉन्ग्रेस का कराची अधिवेशन<br>• गोलमेज सम्मेलन<br>➤ प्रथम गोलमेज सम्मेलन<br>➤ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन<br>➤ तृतीय गोलमेज सम्मेलन<br>• सविनय अवज्ञा आंदोलन का पतन<br>• सविनय अवज्ञा आंदोलन की समीक्षा | |
| 17 | **सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट** | **108-114** |
| | • द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन<br>• सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना समझौता<br>• गांधी एवं हरिजनोत्थान<br>• प्रांतीय चुनाव<br>• प्रांतो में कॉन्ग्रेस शासन के 28 माह | |
| 18 | **अगस्त प्रस्ताव व क्रिप्स मिशन** | **115-119** |
| | • द्वितीय विश्वयुद्ध और भारत<br>• अगस्त प्रस्ताव, 1940 ई.<br>• व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940 ई.<br>• क्रिप्स मिशन, 1942 ई.<br>➤ क्रिप्स प्रस्ताव का मूल्यांकन | |
| 19 | **भारत छोड़ो आंदोलन** | **120-128** |
| | • पृष्ठभूमि/कारण<br>• आंदोलन का आरंभ<br>• आंदोलन के विभिन्न चरण<br>• आंदोलन का पतन<br>• आंदोलन से संबंधित कुछ मुद्दे<br>➤ क्या आंदोलन स्वत: स्फूर्त था?<br>➤ आंदोलन के दौरान हिंसक गतिविधियाँ<br>• आंदोलन की समीक्षा | |
| 20 | **1942–47 के बीच का भारत** | **129-144** |
| | • सी.आर. फार्मूला, 1944 ई.<br>• देसाई-लियाकत समझौता<br>• वेवेल योजना, 1945 ई.<br>• शिमला सम्मेलन<br>• भारत में आम चुनाव<br>• आज़ाद हिंद फौज<br>• लाल किला मुकदमा, 1945 ई.<br>• शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, 1946 ई.<br>• कैबिनेट मिशन, 1946 ई.<br>• संविधान सभा का चुनाव, 1946 ई.<br>• प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस<br>• अंतरिम सरकार का गठन<br>• एटली की घोषणा<br>• बाल्कन योजना<br>• माउंटबेटन योजना<br>• भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन | |

| इकाई | टॉपिक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 21 | **समाजवादी आंदोलन** | **145-162** |
| | • पृष्ठभूमि<br>• वामपंथी विचारधारा के उदय के कारण<br>➤ उद्देश्य एवं कार्यक्रम<br>➤ घोषित कार्यक्रम<br>• भारत में साम्यवाद के विकास के चरण<br>• वामपंथी विचारधारा का योगदान<br>• मूल्यांकन/असफलता के कारण<br>• कॉन्ग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना<br>• कुछ आरंभिक समाजवादियों का संक्षिप्त परिचय<br>• कॉन्ग्रेस समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम/विचारधारा<br>• सफलताएँ/राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव<br>• कॉन्ग्रेस समाजवादी पार्टी और कॉन्ग्रेस<br>• कॉन्ग्रेस समाजवादी पार्टी और साम्यवादी<br>➤ नेहरू और सुभाष की समाजवादी विचारधारा : एक तुलना<br>• अन्य समाजवादी दल<br>• निष्कर्ष | |
| 22 | **ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास** | **163-179** |
| | • परिचय<br>• ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में संवैधानिक विकास<br>➤ रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773<br>➤ 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम<br>➤ पिट्स इंडिया एक्ट, 1784<br>➤ 1786 का अधिनियम<br>➤ चार्टर अधिनियम, 1793<br>➤ चार्टर अधिनियम, 1813<br>➤ चार्टर अधिनियम, 1833<br>➤ चार्टर अधिनियम, 1853<br>• क्राउन के शासनकाल में संवैधानिक विकास<br>➤ भारत शासन अधिनियम, 1858<br>➤ भारत परिषद् अधिनियम, 1861<br>➤ भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892<br>➤ भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 : मार्ले-मिंटो सुधार<br>➤ भारत शासन अधिनियम, 1919 : मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार<br>➤ भारत शासन अधिनियम, 1935 | |
| 23 | **देशी रियासत** | **180-185** |
| | • देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन<br>• देशी रियासतों के प्रति कॉन्ग्रेस की नीति व आंदोलन का विकास<br>• रियासतों का एकीकरण<br>• भूदान आंदोलन | |
| 24 | **भारत में सांप्रदायिकता का विकास** | **185-197** |
| | • सांप्रदायिकता<br>• भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण<br>• आरंभ एवं विकास<br>• हिंदू सांप्रदायिकता<br>• पाकिस्तान की मांग तथा भारत विभाजन | |


❑❑❑❑❑

इकाई

10

# राष्ट्रीय आंदोलन
# (National Movement)

- भारत में राष्ट्रवाद का उदय
  - ➤ पृष्ठभूमि
  - ➤ राष्ट्रवाद के उदय के कारण
- कॉन्ग्रेस के गठन से पूर्व की स्थापित प्रमुख संस्थाएँ
  - ➤ बंगाल में राजनीतिक संस्थाएँ
  - ➤ बंबई में राजनीतिक संस्थाएँ
  - ➤ मद्रास में राजनीतिक संस्थाएँ
  - ➤ कॉन्ग्रेस से पूर्ववर्ती आंदोलन
  - ➤ पूर्ववर्ती संस्थाओं की सीमाएँ
- भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की स्थापना
  - ➤ भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के उद्देश्य
  - ➤ कॉन्ग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित मतभेद
  - ➤ कॉन्ग्रेस के प्रति विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया
- राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण
  - ➤ उदारवादियों की कार्यप्रणाली
  - ➤ उदारवादियों की प्रमुख मांगें
  - ➤ उदारवादी काल में जनसाधारण की भूमिका
  - ➤ उदारवादियों की उपलब्धियाँ
  - ➤ उदारवादियों की सीमाएँ
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण/उग्रवादी आंदोलन, 1905-1913 ई.
  - ➤ उग्रवाद के उदय के कारण
  - ➤ सैद्धांतिक आधार एवं कार्यपद्धति
  - ➤ उग्रवादियों का योगदान
  - ➤ उग्रवादी आंदोलन की सीमाएँ
  - ➤ उदारवादी तथा उग्रवादी आंदोलनों में अंतर

## भारत में राष्ट्रवाद का उदय (Rise of Nationalism in India)

### पृष्ठभूमि (Background)

भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों और ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित संस्थाओं, विचारों व संसाधनों से उपजी प्रेरणा के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम को बताया है। प्रसिद्ध लेखक रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक 'इंडिया टुडे' (1940 ई.) में भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश शासन की संतान और इसका परिणाम कहा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद औपनिवेशिक नीतियों तथा कुछ सीमा तक उस नीति की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप ही उभरा। किंतु, विभिन्न परिस्थितियों एवं कारकों के समग्र विश्लेषण के पश्चात् कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति का परिणाम न होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था।

- भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुआ। दरअसल, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का उद्भव ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियों एवं कुशासन का परिणाम था। सरकार ने जो परिवर्तन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में किये थे, उसके परिणामस्वरूप भारतीय जनमानस का अत्यधिक शोषण हुआ; जिससे जनता में असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप ले लिया।

## मद्रास में राजनीतिक संस्थाएँ (Political Organizations in Madras)

### *1. मद्रास नेटिव एसोसिएशन (Madras Native Association)*

- बंगाल में स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा मद्रास में भी गजुलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी द्वारा स्थापित की गई। बाद में इसी संस्था का नाम परिवर्तित करके मद्रास नेटिव एसोसिएशन रखा गया।
- इस संस्था ने 1857 के विद्रोह की भरसक निंदा की, परंतु व्यापक जन-समर्थन के अभाव में संस्था शीघ्र ही समाप्त हो गई।

### *2. मद्रास महाजन सभा (Madras Mahajan Sabha)*

- कॉन्ग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में यह भी एक महत्त्वपूर्ण संस्था थी, जिसकी स्थापना 1884 ई. में एम.वी. राघवाचारी, जी. सुब्रह्मण्यम् अय्यर तथा पी. आनंद चारलू आदि द्वारा की गई थी।
- पूर्ववर्ती मद्रास नेटिव एसोसिएशन के अधिकतर सदस्य इसमें शामिल थे।
- इसने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे–किसान तथा श्रमिक आदि के अधिकारों के लिये आवाज़ उठाई।

| क्र.स. | संस्था/संगठन | स्थान | संस्थापक | स्थापना वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कलकत्ता, यूनिटेरियन कमेटी | कलकत्ता | राजा राममोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर, विलियम एडम | 1823 ई. |
| 2. | बंगभाषा प्रकाशक सभा | कलकत्ता | राजा राममोहन राय के अनुयायियों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापित | 1836 ई. |
| 3. | लैंड होल्डर्स सोसाइटी (ज़मींदारी एसोसिएशन) | कलकत्ता | द्वारिकानाथ टैगोर व अन्य | 1838 ई. |
| 4. | बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी | कलकत्ता | जार्ज थॉमसन | 1843 ई. |
| 5. | ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन | कलकत्ता | राधाकांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर | 1851 ई. |
| 6. | बॉम्बे एसोसिएशन | बंबई | दादाभाई नौरोजी | 1852 ई. |
| 7. | लंदन इंडियन कमेटी | लंदन | पुरुषोत्तम मुदलियार | 1862 ई. |
| 8. | लंदन इंडियन सोसाइटी | लंदन | दादाभाई नौरोजी | 1865 ई. |
| 9. | ईस्ट इंडिया एसोसिएशन | लंदन | दादाभाई नौरोजी | 1866 ई. |
| 10. | पूना सार्वजनिक सभा | बंबई | एम.जी. रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी | 1870 ई. |
| 11. | इंडियन रिफार्म एसोसिएशन | कलकत्ता | केशवचंद्र सेन | 1870 ई. |
| 12. | इंडियन लीग | कलकत्ता | शिशिर कुमार घोष | 1875 ई. |
| 13. | कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन | कलकत्ता | आनंद मोहन बोस | 1875 ई |
| 14. | इंडियन एसोसिएशन | कलकत्ता | सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस | 1876 ई. |
| 15. | मद्रास महाजन सभा | मद्रास | एम.वीर राघवाचारी, जी. सुब्रह्मण्यम, अय्यर, पी. आनंद चारलू | 1884 ई. |
| 16. | बंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन | बंबई | फिरोज़शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी के.टी. तैलंग | 1885 ई. |

## उदारवादियों की उपलब्धियाँ (Achievements of Moderates)

- उदारवादियों द्वारा भारत के आर्थिक दोहन की तार्किक आलोचना की गई। दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 'पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया' नामक पुस्तक के माध्यम से धन के निष्कासन सिद्धांत को जनता के सम्मुख उजागर किया। उन्होंने तर्क दिया कि औपनिवेशिक नीति के कारण भारत कच्चे माल और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का स्रोत और ब्रिटेन के तैयार माल का उपभोक्ता बनकर रह गया है। इससे भारत के घरेलू एवं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। धन के निष्कासन सिद्धांत से उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक एवं शोषणकारी चरित्र से जनता को अवगत कराया।
- यद्यपि, इनके द्वारा अनुनय-विनय का संवैधानिक मार्ग अपनाया गया, जिसमें इन्हें आंशिक सफलता ही मिली, परंतु इन्होंने ही भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता का प्रसार कर आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।
- नरमपंथियों द्वारा किये गए राजनीतिक कार्य उनके परिश्रम और दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्यत: संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करते हुए क्रमिक रूप से सुधार में विश्वास रखते थे। 1892 ई. के भारतीय परिषद् अधिनियम में उदारवादियों की अनेक मांगें सम्मिलित की गई थीं। सरकार ने उनके अनुरोध पर भारतीय व्यय की समीक्षा के लिये वेल्बी आयोग (Welby Commission) का गठन किया।
- कॉन्ग्रेस एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। उदारवादियों ने कॉन्ग्रेस के कार्यक्रमों में धर्म को छोड़कर जीवन के सभी क्षेत्रों को जोड़ा, किंतु इसमें समाज सुधार के मुद्दों को नहीं शामिल किया। यद्यपि, ये प्रयास एवं प्रतिफल संतोषजनक नहीं थे, तथापि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिये नींव रखने का कार्य किया।
- 1886 ई. में चार्ल्स एचीशन की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ तथा भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराने पर सहमति बनी।
- उदारवादियों के प्रयासों से विदेशों (विशेष रूप से इंग्लैंड) में भी भारतीय पक्ष को समर्थन प्राप्त हुआ।
- प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिनचंद्र के शब्दों में, "1885 से 1905 ई. तक का काल भारतीय राष्ट्रवाद में बीज बोने का समय था और आरंभिक काल के राष्ट्रवादियों ने ये बीज गहरे और अच्छे से बोए।"

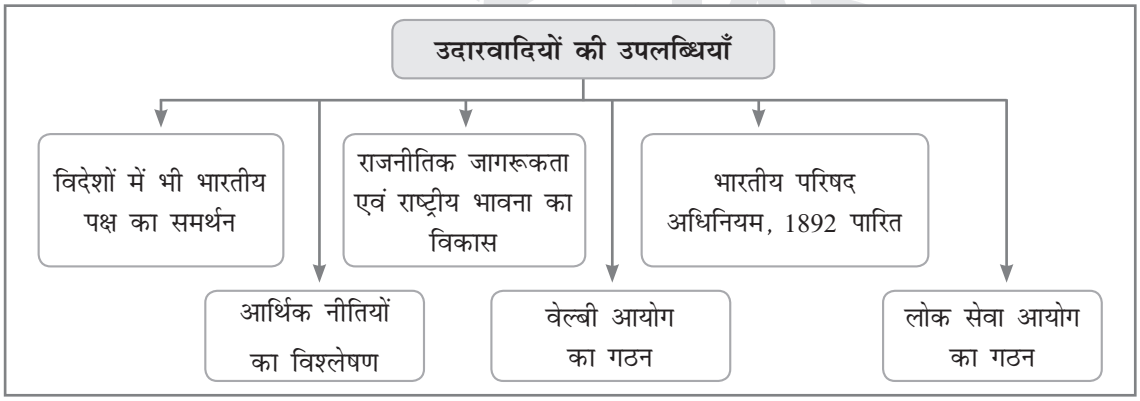


## उदारवादियों की सीमाएँ (Limitations of Moderates)

- उदारवादियों में अधिकांश नेता पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त थे। इनका पाश्चात्य विचारधारा एवं अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता के प्रति विश्वास था। इनका ब्रिटिश न्याय-प्रणाली, संस्थाओं आदि में विश्वास तो था ही, साथ ही भारत में आधुनिकता के अभाव को ध्यान में रखते हुए ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिये अनुचित नहीं मानते थे।

इकाई

11

# बंगाल विभाजन
# (Bengal Partition)

- परिचय
- स्वदेशी आंदोलन
  - ➤ पृष्ठभूमि
  - ➤ आंदोलन के कार्यक्रम
  - ➤ आंदोलन का प्रसार एवं उसकी विशेषताएँ
  - ➤ स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव
  - ➤ स्वदेशी आंदोलन का अंत एवं असफलता के कारण
  - ➤ बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण
- कॉन्ग्रेस का विभाजन/सूरत अधिवेशन, 1907 ई.
- होमरूल आंदोलन, 1916 ई.
  - ➤ परिचय
  - ➤ आंदोलन के आरंभ होने के कारण
  - ➤ आंदोलन के उद्देश्य
  - ➤ आंदोलन की उत्पत्ति एवं प्रसार
  - ➤ आंदोलन के कार्यक्रम
  - ➤ आंदोलन का अंत एवं उसका कारण
  - ➤ आंदोलन की उपलब्धियाँ
- कॉन्ग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ई.
  - ➤ उग्रवाद का कॉन्ग्रेस में पुनः प्रवेश
  - ➤ कॉन्ग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता

## परिचय (Introduction)

**बंगाल विभाजन**

**संबंधित व्यक्तित्व :**
**लॉर्ड कर्ज़न–** वायसराय
**फ्रेजर–** लेफ्टिनेंट गवर्नर
**रिजले–** गृह सचिव

- **3 दिसंबर, 1903**–सर्वप्रथम विभाजन की योजना प्रस्तुत
- **19 जुलाई, 1905**–विभाजन प्रभावी
- **पश्चिमी बंगाल क्षेत्र**–पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा
- **पूर्वी बंगाल क्षेत्र**– असम, चटगाँव, ढाका, राजशाही, मालदा

- **गौण कारण**– प्रशासनिक पुनर्व्यवस्थापन
- **वास्तविक कारण**– राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना
- **उद्देश्य**– बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाना, धार्मिक विभाजन करना

- इस आंदोलन ने जनोन्मुखी संघर्ष का आगाज़ किया। इसके लिये बाज़ारों एवं हाटों में ब्रिटिश सरकार की नृशंसकारी एवं दमनकारी नीतियों का प्रचार किया गया, ताकि जनता को जागरूक एवं उद्वेलित किया जा सके।

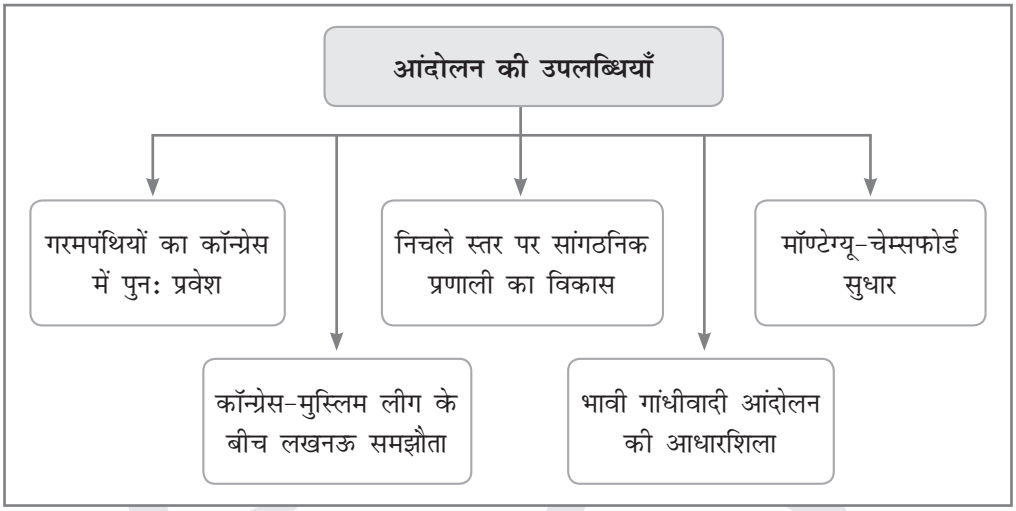


- आंदोलन ने यह कार्य उस समय किया, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक शून्यता का वातावरण विद्यमान था। इन परिस्थितियों में यह आंदोलन राजनीतिक जन-जागृति को प्रसारित करने के लिये जाना गया तथा उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिंध, मद्रास, मध्य प्रांत एवं बरार जैसे अनेक क्षेत्रों तक राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार किया गया।
- होमरूल लीग के अंतर्गत पेशेवर एवं मध्यम वर्ग की सर्वाधिक भागीदारी थी, क्योंकि यह आंदोलन बौद्धिक प्रचार से संबंधित था। इस लीग की बंबई शाखा में व्यापारी एवं मज़दूर वर्ग मुख्य रूप से सक्रिय रहे। इसके अलावा, आंदोलन में स्त्रियों ने भी भागीदारी निभाई, साथ ही मुस्लिम वर्ग ने भी अपना सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया, जैसे– मुहम्मद अली ज़िन्ना, हसन इमाम तथा मज़हरुल हक आदि इस आंदोलन से जुड़े रहे।
- होमरूल आंदोलन ने कमज़ोर हो रही कॉन्ग्रेस को पुनः ऊर्जावान बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। इसी क्रम में लीग ने 1916 ई. में लखनऊ समझौते द्वारा कॉन्ग्रेस के उग्रवादी एवं उदारवादी दल को एक मंच पर लाने के साथ-साथ मुस्लिम लीग का भी कॉन्ग्रेस से समझौता कराने में सफलता प्राप्त की।
- लीग के बढ़ते प्रसार ने ब्रिटिश सरकार को व्यापक सुधार कार्यक्रमों की घोषणा करने के लिये विवश कर दिया। इसी का परिणाम था कि 20 अगस्त, 1917 में मॉण्टेग्यू घोषणा-पत्र द्वारा भारत को उत्तरदायी शासन देने पर सहमति प्रकट की गई।
- इस आंदोलन की व्यापकता ने भारतीय राजनीति से उदारवादियों के प्रभाव को लगभग समाप्त करने का कार्य किया।
- होमरूल लीग के प्रचारात्मक कार्यक्रमों की आलोचना करते हुए इसकी साम्यता 19वीं सदी के अंतिम दशकों के उदारवादी आंदोलन में अपनाए गए तरीकों से की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी संघर्ष में अपनाए गए बहिष्कार एवं सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता से सीधे संघर्ष के तरीकों को होमरूल लीग के दौरान नहीं अपनाया गया, फिर भी आंदोलन ने सदैव के लिये संघर्ष की दिशा को उदारवादी चरण से जन-आंदोलन की ओर मोड़ दिया तथा निचले स्तर पर संगठन की प्रणाली का विकास किया और भविष्य के लिये गांधीवादी आंदोलन को आधार प्रदान किया।

## कॉन्ग्रेस का लखनऊ अधिवेशन (Lucknow Session at Congress), 1916 ई.

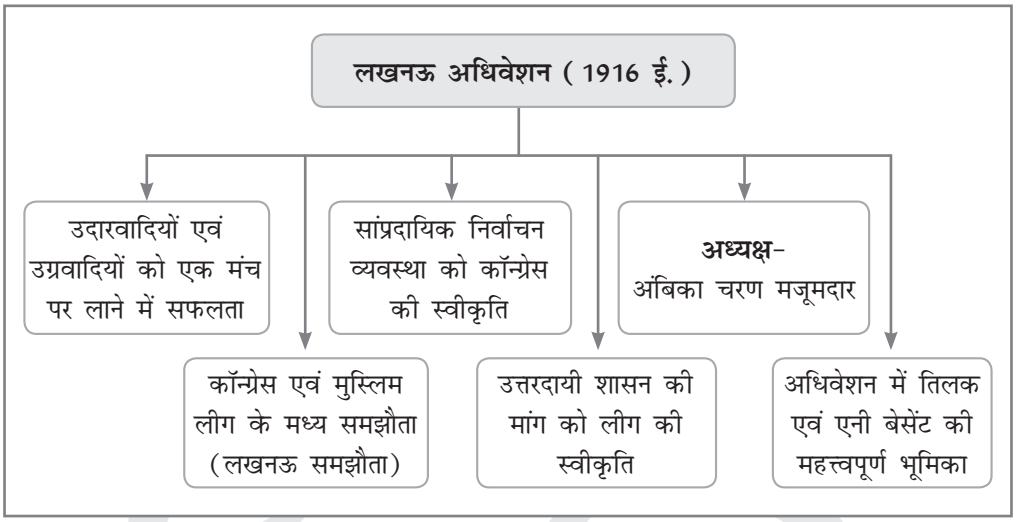


### उग्रवाद का कॉन्ग्रेस में पुनः प्रवेश (Re-entry of Extremism in Congress)

- 1916 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई। इस अधिवेशन में गरमपंथियों का कॉन्ग्रेस में पुनः प्रवेश संभव हुआ।
- 1907 ई. में सूरत विभाजन से उत्पन्न हुए उदारवादियों एवं उग्रवादियों के मध्य मतभेद ने 1915 ई. तक कॉन्ग्रेस पर उदारवादियों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। उदारवादी नेता किसी भी परिस्थिति में उग्रवादियों से संबंध स्थापित करना नहीं चाहते थे, जिसका प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन निरंतर कमज़ोर होता गया।
- 1915 ई. में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज़शाह मेहता की मृत्यु के पश्चात् उदारवादियों एवं उग्रवादियों को एक मंच पर लाने के प्रयासों को गति मिली, क्योंकि ये दोनों नेता उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा उग्रवादी विचारधारा को अनुचित मानते थे।
- इसके अतिरिक्त, एनी बेसेंट एवं तिलक ने नरम दल एवं गरम दल को एक साथ लाने के लिये अथक एवं सराहनीय प्रयास किये, फलतः 1916 ई. में कॉन्ग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों विचारधाराओं को एक साथ लाने में सफलता प्राप्त हुई।

### कॉन्ग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता (Agreement between Congress and Muslim League)

- इस अधिवेशन की एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कॉन्ग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता थी। कॉन्ग्रेस और लीग के मध्य यह समझौता "लखनऊ समझौता या कॉन्ग्रेस-लीग समझौता" कहलाता है।
- इस समझौते के अंतर्गत एक तरफ मुस्लिम लीग कॉन्ग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर सहमत हो गई, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग्रेस द्वारा मुस्लिमों के लिये पृथक् निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया गया।
- इस समझौते के तहत कॉन्ग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

इकाई

12

# क्रांतिकारी आंदोलन
# (Revolutionary Movement)

- क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण
  - ➤ पृष्ठभूमि
  - ➤ क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण
  - ➤ पद्धति
  - ➤ आरंभ एवं क्षेत्रीय प्रसार
  - ➤ विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन
  - ➤ कामागाटामारु केस
  - ➤ तोषामारू कांड
  - ➤ सिल्क पेपर षड्यंत्र
- क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ
  - ➤ बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन
  - ➤ आंदोलन के दमन हेतु किये गए सरकारी प्रयास
  - ➤ असफलता के कारण
  - ➤ क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन
  - ➤ प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के स्वरूप में अंतर
  - ➤ मूल्यांकन
  - ➤ अन्य स्मरणीय तथ्य

## क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण (First Phase of Revolutionary Movement)

### पृष्ठभूमि (Background)

कॉन्ग्रेस के उदारवादियों की संवैधानिक कार्यपद्धति तथा उग्रवादियों के 'निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति' से निराश एवं ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियावादी तथा दमनकारी नीतियों के प्रतिक्रिया-स्वरूप युवा वर्ग की राष्ट्रीयता की भावना से अत्यधिक प्रेरित पीढ़ी ने क्रांतिकारी आंदोलन का रास्ता अपनाया। क्रांतिकारी विचारधारा, क्रियाकलापों और आंदोलन का एक निश्चित लक्ष्य था देश की स्वतंत्रता। क्रांतिकारी यह विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्त्व है, जैसे कि धार्मिक तथा राजनैतिक स्वतंत्रता, नैतिक मूल्य तथा भारतीय संस्कृति। इन सभी को विदेशी शासन या तो समाप्त कर देगा या फिर उनके स्वरूप को विकृत कर देगा।

क्रांतिकारियों का मानना था कि औपनिवेशिक शासन का अंत केवल हिंसक साधनों के प्रयोग द्वारा ही संभव है। अत: फ्राँसीसी, अमेरिकी, आयरलैंड आदि की क्रांतियों के आदर्शों से प्रेरित इन क्रांतिकारियों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हिंसा का मार्ग अपनाया। महाराष्ट्र, बंगाल तथा पंजाब इत्यादि इसके प्रमुख केंद्र थे।

### क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण (Causes of the Rise of Revolutionary Movement)

- क्रांतिकारी आंदोलन के उदय में उदारवादी और उग्रवादी नेतृत्वकर्ताओं द्वारा जनता को कुशल नेतृत्व प्रदान करने में असफलता प्रमुख कारण था। इससे उपजी हताशा के कारण अपनी राष्ट्रवादी ऊर्जा की अभिव्यक्ति के लिये ये युवा क्रांतिकारी आंदोलन के विकल्प की ओर मुड़ गए।

### *पंजाब (Panjab)*

- पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय बार-बार पड़ने वाले अकाल और भू-राजस्व तथा सिंचाई करों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ। इसके प्रणेता जतिन मोहन चटर्जी थे।
- 1904 ई. में जतिन मोहन चटर्जी ने सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की।
- 1906 ई. के आरंभ तक क्रांतिकारी आंदोलन पूरे पंजाब में फैल गया।
- पंजाब में अजीत सिंह, लाला हरदयाल, सूफी अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय आदि ने नेतृत्व प्रदान किया।
- अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधयों का प्रमुख केंद्र बन गया।
- 1907 ई. में लाला लाजपत राय व अजीत सिंह को सरकार ने निर्वासित कर दिया और लाला हरदयाल अमेरिका चले गए।
- अजीत सिंह ने लाहौर से अंजुमने-मोहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना की तथा भारत माता नामक अखबार निकाला।
- 21 फरवरी, 1915 को समस्त उत्तर भारत में एक साथ क्रांति की योजना पंजाब के क्रांतिकारियों द्वारा बनाई गई, जिसका पता सरकार को चल गया। फलतः इस षड्यंत्र से जुड़े नेताओं यथा– पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह तथा जगत सिंह आदि को गिरफ्तार कर लाहौर षड्यंत्र के तहत सज़ा दे दी गई।
- 1908 ई. में क्रांतिकारी गुट का नेतृत्व मास्टर अमीर चंद्र के हाथ में आ गया।

**पंजाब**

- **प्रणेता–** जतिन मोहन चटर्जी (1904 ई. में भारत माता सोसाइटी की स्थापना)
  **कारण–** अकालों की पुनरावृत्ति व भू-राजस्व में वृद्धि
- **अंजुमने मोहिब्बाने वतन (लाहौर)–** अजीत सिंह
  **लाहौर षड्यंत्र–** 21 फरवरी, 1915 को पूरे उत्तर भारत में क्रांति की योजना (असफल रही)

### *मद्रास (Madras)*

- मद्रास प्रांत भी क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र रहा। यहाँ नीलकंठ ब्रह्मचारी तथा वंची अय्यर ने भारत माता समिति की स्थापना की।
- जून 1911 में वंची अय्यर ने तिन्नेवेली के ज़िला जज आशे की हत्या करने के उपरांत आत्महत्या कर ली।

**मद्रास**

- **भारत माता समिति की स्थापना–** नीलकंठ ब्रह्मचारी व वंची अय्यर
- **जून 1911 में ज़िला जज आशे की हत्या–** वंची अय्यर

इकाई

13

# गांधीवादी आंदोलन
# (Gandhian Movement)

- महात्मा गांधी : आरंभिक जीवन एवं दक्षिण अफ्रीका प्रवास
- गांधी की विचारधारा
  - ➤ गांधी की कार्यपद्धति
- गांधी की भारत वापसी
- गांधी के आगमन के समय भारत की परिस्थितियाँ
- गांधी युग का आरंभ
  - ➤ चंपारण सत्याग्रह, 1917 ई.
  - ➤ खेड़ा आंदोलन, 1918 ई.
  - ➤ अहमदाबाद का श्रमिक विवाद, 1918 ई.
- रॉलेट एक्ट, 1919 ई.
  - ➤ रॉलेट सत्याग्रह
  - ➤ जलियाँवाला बाग हत्याकांड, 1919 ई.
- खिलाफत आंदोलन
  - ➤ खिलाफत आंदोलन के कारण
  - ➤ खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य
  - ➤ खिलाफत आंदोलन का घटनाक्रम
  - ➤ खिलाफत आंदोलन का पतन
  - ➤ खिलाफत आंदोलन के परिणाम एवं योगदान
  - ➤ खिलाफत आंदोलन की समीक्षा

## महात्मा गांधी : आरंभिक जीवन एवं दक्षिण अफ्रीका प्रवास
## (Mahatama Gandhi : Early Life and South Africa Stay)

### महात्मा गांधी ( 1869-1948 ई. )

- जन्म- 2 अक्तूबर, 1869 (पोरबंदर, गुजरात)
- पिता- करमचंद (पोरबंदर के दीवान)
- पत्नी- कस्तूरबा
- लंदन- बैरिस्टरी पास (1891 ई.)

- पहली बार दक्षिण अफ्रीका यात्रा- दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने (1893 ई.)
- नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन एवं इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन
- 1904 ई. में फीनिक्स फार्म की स्थापना
- सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग (1906 ई.)- पंजीकरण प्रमाण-पत्र के विरुद्ध

- हिंद स्वराज का लेखन (गुजराती में)- लंदन से अफ्रीका लौटते समय(1909 ई.)
- टॉलस्टायॅ फार्म की स्थापना (1910 ई., बाद में गांधी आश्रम)

- भारत आगमन- 9, जनवरी 1915 ई.
- गोपाल कृष्ण गोखले- राजनीतिक गुरु
- प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान- ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति
- भर्ती करने वाला 'सार्जेंट' कहा जाने लगा (कैसर-ए-हिंद की उपाधि)

**गांधी की विचारधारा**

- शक्तिशाली अस्त्र के रूप में अहिंसा
- सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह
- निष्क्रिय प्रतिरोध
- साध्य एवं साधन की पवित्रता पर बल
- वर्ग समन्वय की अवधारणा
- सर्वोदय की अवधारणा
- ट्रस्टीशिप सिद्धांत
- मशीनीकरण की आलोचना
- अस्पृश्यता का उन्मूलन
- स्त्रियों की भागीदारी को बढ़ावा
- मातृभाषा में शिक्षा

## गांधी की कार्यपद्धति (Methodology of Gandhi)

- गांधी के अनुसार, जनता की दमन सहने एवं बलिदान करने की क्षमता सीमित होती है। अतः कोई भी जन-आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता, उसमें ठहराव अवश्य आता है। विराम की इस अवस्था में गांधी ने रचनात्मक कार्यों को करने के निर्देश दिये, ताकि जनता को स्वावलंबी एवं गतिशील बनाया जा सके। इससे एक निश्चित समय के बाद जब आंदोलन पुनः शुरू किया जाए तब जनता ऊर्जावान हो तथा पूर्ण सक्रियता के साथ भागीदारी करे।
- दबाव-समझौता-दबाव की रणनीति के माध्यम से गांधी ने सर्वप्रथम जनांदोलन से ब्रिटिश सत्ता पर दबाव डालकर समझौते के लिये तैयार करने की नीति को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् शेष रह गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पुनः दबाव को निर्मित करने हेतु जनांदोलन शुरू करके पुनः समझौते के लिये तैयार करने की रणनीति को प्रस्तुत किया। इस प्रकार, गांधी की दबाव (समझौता) दबाव की रणनीति जनांदोलनों को शुरू करने एवं स्थगित करने से संबंधित थी।
- गांधी की रणनीति नियंत्रित जनांदोलन की थी। इस संदर्भ में गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग को प्रस्तुत किया। गांधीजी इस बात से भली-भाँति परिचित थे कि अनियंत्रित जनांदोलन से जनता की व्यापक भागीदारी बाधित हो सकती है तथा साम्राज्यवादी सत्ता द्वारा आंदोलन को दबाया जा सकता है।
- जनता की शक्ति को पहचान कर जन-सहभागिता पर बल देते हुए गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में जनता की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया। ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिये जनता को राजनीतिक रूप से सक्रिय करने की रणनीति को प्रस्तुत किया।
- गांधीजी ने साधारण राजनीतिक जीवनशैली को अपनाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभावी नेतृत्व किया। गांधी ने अपनी वेश-भूषा से लेकर अपनी भाषा के प्रयोग तक को साधारण बनाए रखने का कार्य किया। इसी जीवनशैली ने गांधी को आम जनमानस में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया।
- गांधी की कार्यपद्धति का सबसे मुख्य पक्ष रचनात्मक कार्यों में दिखाई देता है। इसके अंतर्गत गांधी ने हिंदू-मुस्लिम एकता, स्त्री-पुरुष समानता, अछूतोद्धार, आदिवासी जातियों के कल्याण एवं नारी उत्थान पर बल दिया। गांधी ने

इकाई

14

# असहयोग आंदोलन एवं स्वराज पार्टी (Non-Cooperation Movement and Swaraj Party)

**असहयोग आंदोलन**

- असहयोग आंदोलन के कारण
- असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम
- असहयोग आंदोलन का घटनाक्रम
- असहयोग आंदोलन का परिणाम/उपलब्धियाँ
- असहयोग आंदोलन की वापसी
- असहयोग आंदोलन की समीक्षा

**स्वराज पार्टी**

- पृष्ठभूमि
- स्वराज दल की स्थापना
- स्वराज दल की सफलता एवं दमन
- स्वराज दल को गांधी का समर्थन
- मुड्डीमैन समिति
- स्वराज दल का अंत
- 1922-27 के दौरान कुछ अन्य राजनीतिक दल एवं आंदोलन

## असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement)

### असहयोग आंदोलन के कारण (Causes of Non-Cooperation Movement)

- भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को इस उम्मीद पर प्रथम विश्वयुद्ध में समर्थन दिया था कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वशासन प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, परंतु आशा के विपरीत भारत को रॉलेट एक्ट तथा जलियाँवाला बाग हत्याकांड जैसी दमनात्मक कार्रवाई मिली। ब्रिटिश शासन के कठोर रुख के कारण भारतीय जनमानस का असंतोष चरम पर जा पहुँचा।
- मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत निर्वाचित सरकार को बहुत ही कम अधिकार दिये गए थे, फलतः भारतीय नेतृत्व निराश और असंतुष्ट था।
- तुर्की के खलीफा के साथ किये गए दुर्व्यवहार के कारण भारतीय मुस्लिम असंतुष्ट थे और उन्होंने खलीफा के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिये खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। गांधीजी ने इसे मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में जोड़ने का उचित अवसर मानकर एक राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की।
- प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्त होने के पश्चात् बढ़ती महँगाई और बेरोज़गारी जैसे आर्थिक मुद्दों ने मज़दूर वर्ग, दस्तकारों तथा मध्यम वर्ग आदि को उद्वेलित किया।

### असहयोग आंदोलन की शुरुआत (Beginning of Non Cooperation Movement)

- असहयोग आंदोलन शुरू करने से पूर्व ही जहाँ गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई 'कैसर ए हिंद' की उपाधि लौटा दी, वहीं जमनालाल बजाज ने 'राय बहादुर' की उपाधि लौटा दी।
- 1920 ई. में गांधीजी ने खिलाफत समिति के समक्ष ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

- असहयोग आंदोलन के दौरान कॉन्ग्रेस का भी क्षेत्रीय और वर्गीय विस्तार हुआ। प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने के कारण कॉन्ग्रेस को मुट्ठी भर लोगों के प्रतिनिधित्व करने के आरोप से मुक्ति मिली।
- इस आंदोलन ने आम जनता द्वारा दमन एवं संघर्ष का सामना करने की क्षमता को प्रदर्शित किया। भारतीय जनता के त्याग एवं बलिदान ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश की आजादी की चाह शिक्षित लोगों में ही नहीं अपितु निरक्षर एवं ग्रामीण जनता में भी थी।
- असहयोग आंदोलन में निहित बहिष्कार, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की रणनीतियों ने आम जनमानस में आत्मविश्वास को जागृत किया तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष को उत्प्रेरित किया, फलतः विदेशी शासन का भय आम जनमानस से जाता रहा।

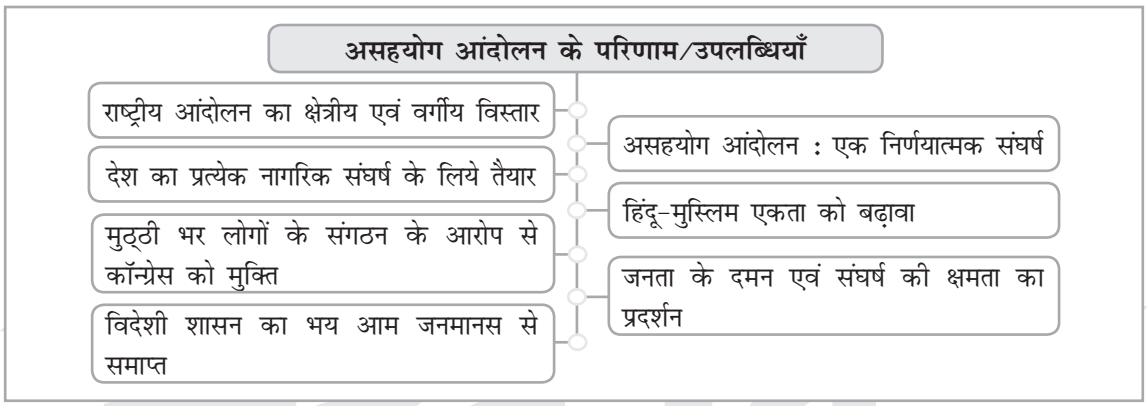


## असहयोग आंदोलन की वापसी (Withdrawal of Non-Cooperation Movement)

### आंदोलन वापसी के विपक्ष में तर्क
### (Arguments Against the Withdrawal of Movement)

- असहयोग आंदोलन की अकस्मात् वापसी की आलोचना करते हुए रजनीपाम दत्त जैसे– इतिहासकारों ने गांधी को बुर्जुआ वर्ग के हितों का पोषक बताया। आंदोलन की वापसी के संदर्भ में विपक्ष में दिये गए तर्क इस प्रकार हैं–
  - ➤ इन इतिहासकारों के अनुसार, आंदोलन की वापसी चौरी-चौरा कांड की हिंसा के कारण नहीं, अपितु अमीर पूंजीपति वर्ग के हितों की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया कदम था, क्योंकि गांधीजी को यह लगने लगा था कि भारतीय जनता अब अमीर शोषकों के विरुद्ध होने वाले जुझारू संघर्ष के लिये तैयार हो रही है।
  - ➤ गांधीजी को यह लग रहा था कि कहीं आंदोलन का नेतृत्व उनके हाथ से निकलकर लड़ाकू ताकतों के हाथ में न चला जाए। अतः लड़ाकू शक्तियों के बढ़ते प्रभाव के कारण गांधीजी ने आंदोलन वापसी का निर्णय लिया था।
  - ➤ गांधीजी आंदोलन वापसी के माध्यम से ज़मींदारों के हितों का सरंक्षण करना चाहते थे। यही कारण है कि गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव (12 फरवरी, 1922 को संपन्न) में किसानों से कर एवं लगान की अदायगी करने को कहा।
- आंदोलन की अकस्मात् वापसी की आलोचना जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाषचंद्र बोस जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने की।

इकाई

15

# साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट एवं लाहौर अधिवेशन
# (Simon Commission, Nehru Report and Lahore Session)

- साइमन कमीशन, 1927 ई.
- नेहरू रिपोर्ट, 1928 ई.
- जिन्ना की चौदह–सूत्री मांगें
- कॉन्ग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1929 ई.

## साइमन कमीशन (Simon Commission), 1927 ई.

**साइमन कमीशन (श्वेत कमीशन)**

- **गठन–** 8 नवंबर, 1927
- **अध्यक्ष–** सर जॉन साइमन
- **कुल सदस्य–** सात
- प्रतिक्रिया भारतीयों द्वारा विरोध

**गठन का आधार**

- भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत हुए सुधारों की समीक्षा करना
- भारतीयों को संवैधानिक अधिकार व उत्तरदायी शासन प्रदान करने के संदर्भ में सुझाव देना

**विरोध का कारण**

- समय से 2 वर्ष पूर्व गठन
- समिति में कोई भारतीय सदस्य नहीं
- सभी सदस्य ब्रिटिश
- भारतीय संविधान निर्माता भारतीय नहीं थे

- नवंबर 1927 ई. में साइमन कमीशन की स्थापना सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय आयोग के रूप में की गई। इस आयोग का गठन 1919 ई. के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों की जाँच हेतु किया गया था।
- दरअसल, 1919 ई. के संवैधानिक सुधारों में एक प्रावधान यह भी किया गया था कि 10 वर्ष पश्चात् इन संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा। साइमन कमीशन का गठन वास्तव में इसी प्रावधान का परिणाम था, लेकिन इस आयोग का गठन 10 वर्षों की अपेक्षा 8 वर्ष पश्चात् (1927 ई.) ही कर दिया गया। क्योंकि 'अनुदारवादी ब्रिटिश सरकार' को यह आभास हो रहा था कि ब्रिटेन में आयोजित होने वाले आगामी चुनाव में श्रमिक दल के हाथों उसकी पराजय हो सकती है।
- ऐसी परिस्थिति में सत्ताधारी अनुदारवादी दल (Conservative Party) की ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य से संबंधित इस मुख्य विषय को अनुभवहीन श्रमिक दल (Labour Party) के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिये निर्धारित समय से पूर्व ही साइमन आयोग का गठन कर दिया गया।

- साइमन कमीशन के विरुद्ध जन आक्रोश का सबसे प्रमुख तथ्य यह है कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया तथा पहली बार देश की युवा शक्ति के बड़े वर्ग ने राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त किया। युवाओं ने सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शनों एवं सभा-समितियों में भाग लिया। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाषचंद्र बोस जैसे प्रमुख युवा राष्ट्रवादी नेता भी भारत की राजनीति में उभरे, जिन्होंने समाजवाद के नए क्रांतिकारी विचारों के अंकुरण और प्रसार में अपना योगदान दिया।

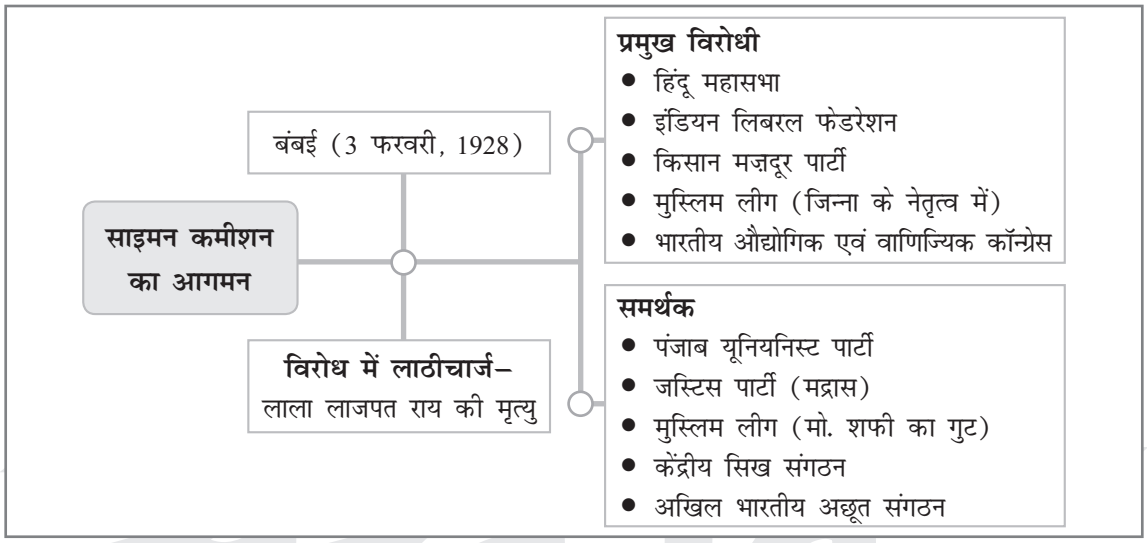


- वहीं दूसरी तरफ, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, मो. शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, केंद्रीय सिख संगठन, अखिल भारतीय अछूत संगठन आदि ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त पूंजीपतियों, देशी नरेशों एवं ज़मींदारों ने भी कमीशन का साथ दिया। यहाँ दिलचस्प तथ्य यह है कि साइमन कमीशन के सहयोग हेतु गठित समिति में डॉ. भीमराव आंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में सम्मिलित थे।
- इन्हीं परिस्थितियों के बीच 27 मई, 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं–
  - ➤ 1919 ई. के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर वहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए।
  - ➤ केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न दिया जाए अर्थात् केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना न की जाए।
  - ➤ भारत के लिये एक संघीय संविधान निर्मित किया जाए तथा संघीय भावना से युक्त केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएँ।
  - ➤ उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में लाने का सुझाव दिया गया।
  - ➤ उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा देने तथा बर्मा को भारत से अलग किये जाने की अनुशंसा की गई।
  - ➤ प्रांतीय विधानमंडल की सदस्य संख्या का विस्तार किया जाए।
  - ➤ अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति गवर्नर-जनरल से विशेष ध्यान देने को कहा गया।
  - ➤ मताधिकार का विस्तार कर इसकी वर्तमान सीमा 2.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 से 15 प्रतिशत तक करने की बात कही गई।

इकाई

16

# सविनय अवज्ञा आंदोलन
# (Civil Disobedience Movement)

- पृष्ठभूमि/कारण
  - ➤ गांधी जी की 11–सूत्री मांगें
- आंदोलन का प्रारंभ
  - ➤ दांडी मार्च
  - ➤ नमक केंद्रीय मुद्दे के रूप में
  - ➤ आंदोलन के कार्यक्रम
  - ➤ आंदोलन का प्रसार
- गांधी–इरविन समझौता, 1931 ई.
- कॉन्ग्रेस का कराची अधिवेशन
- गोलमेज सम्मेलन
  - ➤ प्रथम गोलमेज सम्मेलन
  - ➤ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
  - ➤ तृतीय गोलमेज सम्मेलन
- सविनय अवज्ञा आंदोलन का पतन
- सविनय अवज्ञा आंदोलन की समीक्षा

## पृष्ठभूमि/कारण (Background/Causes)

- सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई अकस्मात् उपजा आंदोलन नहीं था, बल्कि इसकी उत्पत्ति के बीज इससे पूर्ववर्ती ऐतिहासिक घटनाओं में खोजे जा सकते हैं। दरअसल, असहयोग आंदोलन स्थगित किये जाने के बाद से ही साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध अभिव्यक्ति कई रूपों में सामने आने लगी, जिसमें साइमन कमीशन का विरोध, क्रांतिकारियों द्वारा की गई उग्र एवं हिंसक घटनाएँ, आर्थिक मंदी से उत्पन्न तनाव, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना आदि सम्मिलित थे।
- यह महत्त्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन की वापसी के साथ ही देश में क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण का आगाज़ हो गया। इसके अंतर्गत काकोरी कांड, चटगाँव शस्त्रागार की लूट, मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस जैसी विभिन्न हिंसक क्रांतिकारी घटनाएँ घटित हुईं, जिसने न सिर्फ सरकार विरोधी असंतोष को उग्र किया बल्कि हिंसा एवं भय के वातावरण को भी जन्म दिया।
- साइमन कमीशन को भारतीय संवैधानिक स्थिति के पुनरीक्षण के लिये नियुक्त किया गया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय अपमान का एहसास हुआ और उनमें ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा व असंतोष की भावना उमड़ने लगी।
- अगले चरण में, 1928 ई. में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत का संविधान निर्मित करने के संदर्भ में सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।
- इसके अतिरिक्त, 1929 ई. की वैश्विक आर्थिक मंदी से भारत का निर्यात तेज़ी से कम हुआ तथा निर्यात योग्य नकदी फसलों के दामों में भी भारी गिरावट आई। अन्य वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार, वैश्विक मंदी से आम जनमानस से लेकर पूंजीपति वर्ग तक सभी प्रभावित हुए।
- सबसे बढ़कर, 1929 ई. के लाहौर कॉन्ग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ब्रिटिश शासन को स्वीकार करना, ईश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति पाप करने के समान बताया गया। इसी अवसर पर 26 जनवरी, 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई तथा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने हेतु अधिकृत किया गया।

***कृषक वर्ग से संबंधित मांगें (Demands related to Peasant Class)***

(x) नमक कर समाप्त किया जाए।

(xi) भू-राजस्व में 50 प्रतिशत की कमी जाए।

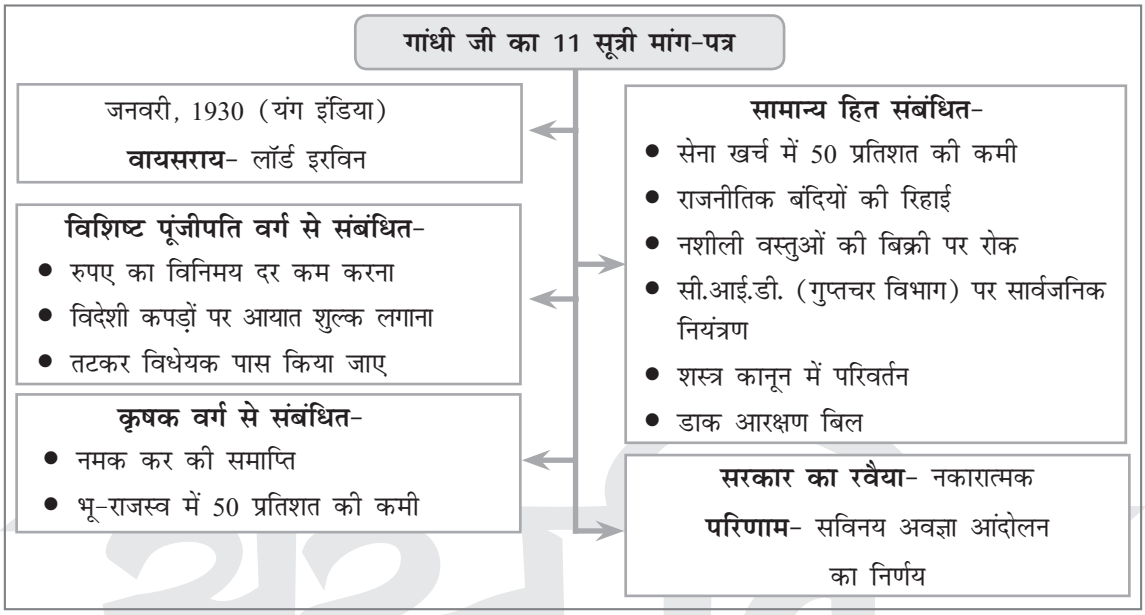


- फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में आयोजित कॉन्ग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया।
- गांधी जी ने मार्च 1930 में ब्रिटिश सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि 11 मार्च, 1930 तक इन ग्यारह मांगों को नहीं माना गया तो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया जाएगा।
- इन ग्यारह-सूत्री मांगों को न मानने के परिणामस्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने हेतु नमक कानून का उल्लंघन करने का निश्चय किया।

## आंदोलन का प्रारंभ (Beginning of Movement)

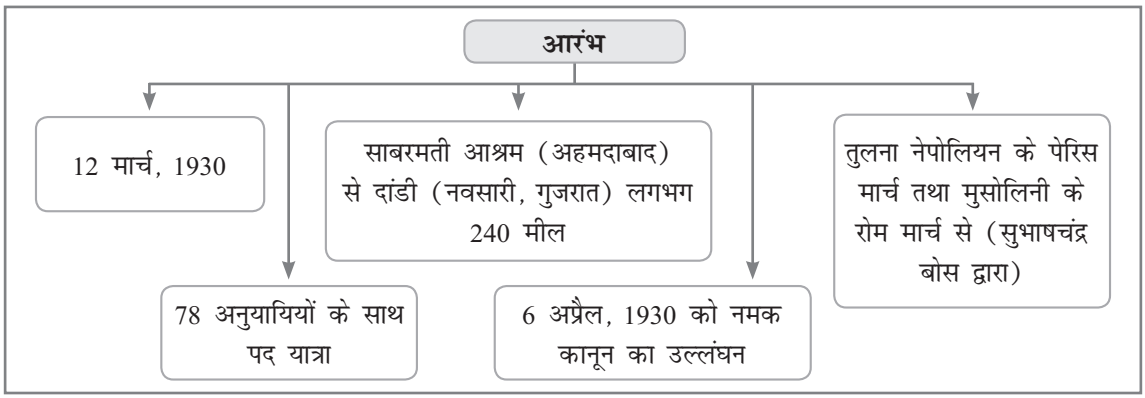

इकाई

17

# सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट (Communal Award and Poona Pact)

- द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन
- सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना समझौता
- गांधी एवं हरिजनोत्थान
- प्रांतीय चुनाव
- प्रांतो में कॉन्ग्रेस शासन के 28 माह

## द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन (Second Civil Disobedience Movement)

**द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन**

- **आरंभ–** 4 जनवरी, 1932 गांधी जी गिरफ्तार व कॉन्ग्रेस गैर-कानूनी संस्था घोषित
- **आधार**- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता विश्वव्यापी मंदी सरकार द्वारा आंदोलन का बर्बरतापूर्वक दमनचक्र
- **कार्यक्रम–** कपड़े व शराब की दुकानों पर धरना देना, कॉन्ग्रेस के झंडे लहराना, सार्वजनिक कॉन्ग्रेस अधिवेशन करना, गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर का उपयोग

कॉन्ग्रेस ने 1932 ई. में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया। 4 जनवरी, 1932 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गए। कॉन्ग्रेस गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दी गई और सरकार का दमनचक्र तीव्र हो गया।

अप्रैल 1932 में वेलिंगटन ने बंबई शहर तथा बंगाल को दो काले धब्बों के समान बताया। क्रूर दमन की वजह से इस बार का आंदोलन कम तीव्र रहा। अब तक व्यापारी वर्ग का भी समर्थन कम हो गया था। बंबई के मिल मालिकों ने जापानियों के साथ होने वाली स्पर्द्धा के डर से लंकाशायर के साथ मिलकर अक्तूबर 1932 में लीस मोदी पैक्ट किया।

इन सभी बातों के बावजूद जनता का आक्रोश थमा नहीं। 1931 ई. में आतंकवाद ने पहले के सभी रिकार्ड तोड़ दिये। इस वर्ष कुल 92 वारदातें हुईं, जिनमें 9 हत्याएँ शामिल थीं। सुनीति चौधरी तथा शांति घोष नामक दो स्कूली छात्राओं ने त्रिपुरा के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट सी. जी. बी. स्टीवन को गोली मार दी।

त्रिचनापल्ली के निकट पडकोट्टा नामक एक छोटी रियासत में कुछ दिनों के लिये ऐसी स्थिति रही, जिसे इंडियन एनुअल रजिस्टर में भीड़ राज कहा गया है। नए करों का विरोध करती हुई भीड़ ने सेना तथा पुलिस को दबोच लिया। न्यायालय के दस्तावेज़ फाड़ दिये। कृष्णा ज़िले के डुग्गीराला गोपालकृष्णय्या यहाँ के स्थानीय नेता थे। इन्होंने तेलुगू कथाकाव्य 'गांधी गीता' लिखकर किसान तथा राष्ट्रीय आंदोलन को लोकप्रिय बनाया।

दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पश्चात् प्रारंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन ने परंपरागत तरीकों से इतर भी कुछ नए तरीकों को अपनाया। इनमें कपड़े तथा शराब की दुकानों पर धरना देना, कॉन्ग्रेस के झंडे को लहराना, सार्वजनिक रूप से कॉन्ग्रेस का अधिवेशन करना तथा किसी सीमा तक कॉन्ग्रेस की गतिविधियों को अवैध रूप से चलाना आदि

- इस बार दलित वर्ग को शेष हिंदू समाज से पृथक् करने के अंग्रेज़ों के प्रयास का सभी राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा विरोध किया गया। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे, वहीं से उन्होंने इस पंचाट पर कड़ा विरोध प्रकट किया। गांधी जी ने दलितों के लिये बनाए गए पृथक् निर्वाचक-मंडल का सबसे बड़ा दोष यह बताया कि "यह अछूतों के हमेशा अछूत बने रहने की बात को सुनिश्चित करता है।"

## पूना समझौता (Poona Pact), 1932 ई.

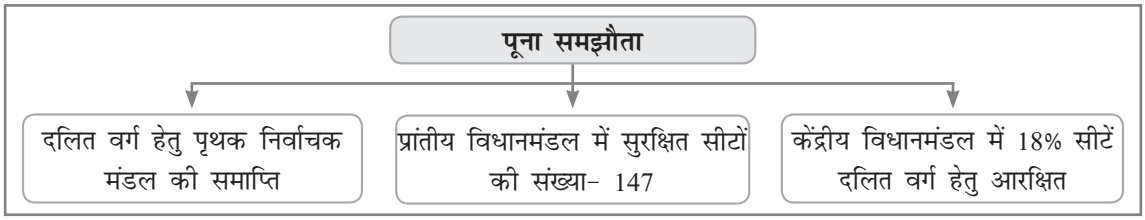


- गांधी जी ने पृथक् निर्वाचक-मंडल की समीक्षा करने और इसे पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर 20 सितंबर, 1932 से यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी का मानना था कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर सामान्य निर्वाचक-मंडल के माध्यम से होना चाहिये, किंतु दलित वर्ग के लिये काफी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध गांधी जी ने नहीं किया।
- गांधी जी के उपवास के छठे दिन 26 सितंबर, 1932 को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय हो गए, जिनमें मदन मोहन मालवीय, एम.सी. रजा और डॉ. आंबेडकर आदि शामिल थे। अंततोगत्वा 26 सितंबर को ही पूना समझौता संपन्न हुआ, जिसमें दलितों के लिये पृथक् निर्वाचक-मंडल को समाप्त कर दिया गया तथा सामान्य निर्वाचक-मंडल बनाए जाने के संबंध में दो शर्तों पर सहमति बनी, जो इस प्रकार हैं–
  - ➤ केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिये निर्धारित सामान्य स्थानों में से 18 प्रतिशत दलित वर्गों के लिये आरक्षित रखा जाए।
  - ➤ प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिये सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाए।
- सरकार ने पूना पैक्ट को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात् गांधी जी ने दलितों को हिंदुओं से पृथक् करने की ब्रिटिश रणनीति का विरोध करने एवं दलितों के उत्थान हेतु अपने अन्य राजनीतिक कार्यों को छोड़कर अस्पृश्यता निवारण अभियान को शुरू कर दिया।

## द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत (The End of Second Civil Disobedience Movement)

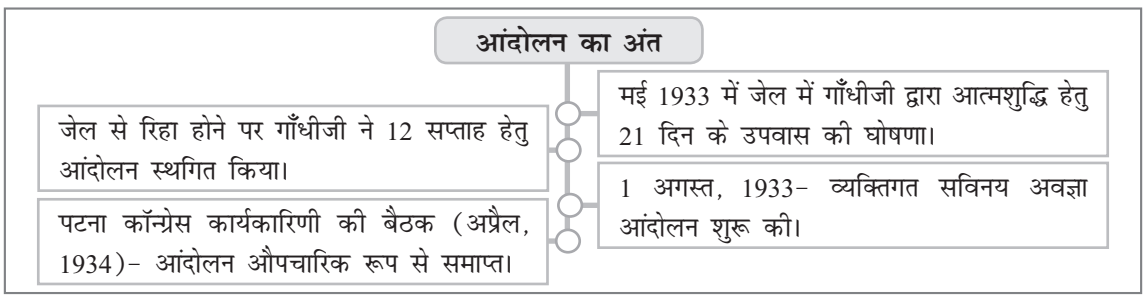


- सांप्रदायिक अधिनियम व पूना समझौता के पश्चात् सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति मंद हो गई। गांधी जी ने 1932 ई. में हरिजन उद्धार कार्यक्रम आरंभ किया तथा इसी क्रम में मई 1933 में जेल में आत्मशुद्धि हेतु 21 दिन

इकाई

18

# अगस्त प्रस्ताव व क्रिप्स मिशन (August Offer and Cripps Mission)

- द्वितीय विश्वयुद्ध और भारत
- अगस्त प्रस्ताव, 1940 ई.
- व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940 ई.
- क्रिप्स मिशन, 1942 ई.
  - ➤ क्रिप्स प्रस्ताव का मूल्यांकन

## द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारत (Second World War and India)

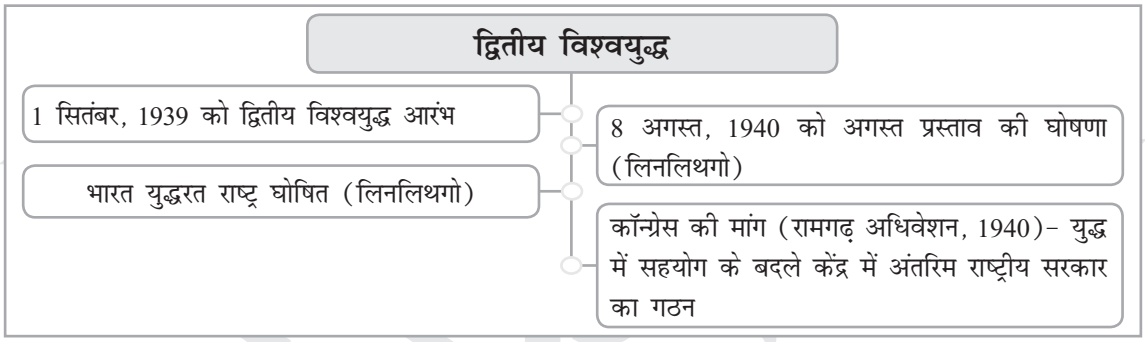


- द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने के साथ ही, वायसराय लिनलिथगो ने भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत में आपातकालीन कानून लागू कर दिया गया तथा प्रांतीय सरकारों की स्वायत्तता पर नियंत्रण आरोपित कर दिया गया।
- सुभाषचंद्र बोस द्वितीय विश्वयुद्ध को एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखते थे और इसका उपयोग भारत को स्वतंत्र कराने के लिये करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने बोस की इस नीति का तीखा विरोध किया। गांधीजी का मत था कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिये।
- इसी दौरान कॉन्ग्रेस कार्यसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत के लिये युद्ध और शांति के मुद्दे पर अंतिम फैसला भारत की जनता द्वारा ही किया जाना चाहिये, किंतु ब्रिटिश सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण कॉन्ग्रेस के प्रतिनिधियों ने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। ऐसे में, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को मनाना चाहती थी कि वे ब्रिटिश पक्ष की ओर से युद्ध में शामिल हो जाएँ। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा 'अगस्त प्रस्ताव' लाया गया।

## अगस्त प्रस्ताव (August Offer), 1940 ई.

- कॉन्ग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने के पश्चात् मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कॉन्ग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्तमान झारखंड के 'रामगढ़' में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में कॉन्ग्रेस ने

इकाई

19

# भारत छोड़ो आंदोलन
## (Quit India Movement)

- पृष्ठभूमि/कारण
- आंदोलन का आरंभ
- आंदोलन के विभिन्न चरण
- आंदोलन का पतन
- आंदोलन से संबंधित कुछ मुद्दे
  - ➤ क्या आंदोलन स्वत: स्फूर्त था?
  - ➤ आंदोलन के दौरान हिंसक गतिविधियाँ
- आंदोलन की समीक्षा

### पृष्ठभूमि/कारण (Background/Causes)

**भारत छोड़ो आंदोलन के कारण**

- क्रिप्स मिशन की असफलता
- युद्ध के कारण उपजी महंगाई, बेरोज़गारी, आवश्यक वस्तुओं का अभाव
- भारतीय जनमानस में उपजा असंतोष
- दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश पराजय के चलते भारतीयों की विरोध प्रदर्शन करने की इच्छाशक्ति में वृद्धि
- भारत पर जापानी आक्रमण का भय
- सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात् व्यापक स्तर पर नवीन संघर्ष हेतु पर्याप्त ऊर्जा व उत्साह का संचार

- 1939 ई. में शुरू हुए द्वितीय विश्वयुद्ध ने भारत की राजनीति को भी प्रभावित किया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों से सलाह किये बिना ही भारत को युद्ध में जर्मनी एवं इटली के विरुद्ध ब्रिटेन का पक्षकार घोषित कर दिया।
- ऐसे में, भारतीय नेताओं ने इस प्रकार भारत को युद्ध में शामिल किये जाने का तीखा विरोध किया तथा शर्त रखी कि यदि अंग्रेज़, युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें भारतीय को पर्याप्त संवैधानिक रियायतें प्रदान करनी होंगी। इसी संदर्भ में लार्ड लिनलिथिगो ने 'अगस्त प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। किंतु, इस प्रस्ताव से भारतीयों को पर्याप्त रियायतें प्राप्त न हो सकीं और अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया।
- जब 7 दिसंबर, 1941 की सुबह जापान ने पर्ल हार्बर (अमेरिका) पर हमला कर दिया, तो उसके पश्चात् दक्षिण-पूर्व एशिया में मित्र-राष्ट्रों की स्थिति कमज़ोर होने लगी। इन्हीं परिस्थतियों में गांधीजी ने अपने अंग्रेज़ी में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र 'हरिजन' में लिखा कि "अंग्रेज़ों भारत को जापान के लिये मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिये व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ।"

| आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नेता | |
|---|---|
| **नेता** | **जेल** |
| महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, भूला भाई देसाई | आगा खाँ पैलेस |
| जवाहरलाल नेहरू | अल्मोड़ा जेल |
| डॉ. राजेंद्र प्रसाद | बाँकीपुर जेल |
| मौलाना अबुल कलाम आज़ाद | अहमदनगर फोर्ट |
| जय प्रकाश नारायण | हज़ारीबाग |
| कॉन्ग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्य | अहमदनगर फोर्ट |

- सरकार की नृशंस कार्रवाई में प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर के जो नेता गिरफ्तार होने से बच गए, उन्होंने भूमिगत होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध गतिविधियों का संचालन किया।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉन्ग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया तथा उसकी संपत्ति ज़ब्त कर ली गई। इसके अतिरिक्त, अंग्रेज़ों ने कॉन्ग्रेस द्वारा जुलूस एवं सभाओं का आयोजन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इन सभी दमनात्मक कार्रवाइयों ने देश की आम जनता को आक्रोशित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन ने पर्याप्त प्रगति की और यह सर्वव्यापक आंदोलन सिद्ध हुआ।

## आंदोलन के विभिन्न चरण (Various Phases of the Movement)

### आंदोलन के चरण

**प्रथम चरण**
- मुख्यतः शहरों तक सीमित यथा– दिल्ली, बंबई, पुणे, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों पर हिंसा
- सार्वजनिक संपत्ति को क्षति, पुलिस के प्रति हिंसा व प्रदर्शन
- कारखानों व मिलों में हड़ताल (अहमदाबाद को भारत के स्टेलिनग्राद की संज्ञा)

**द्वितीय चरण**
- ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित समानांतर सरकारों की स्थापना
- बलिया (उत्तर प्रदेश)– चित्तू पांडेय के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार
- तामलुक (बंगाल)– जातीय सरकार के नाम से प्रचलित सतीश सामंत के नेतृत्व में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक
- सतारा (महाराष्ट्र)– वाई.बी. चव्हाण के नेतृत्व में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली
- अहमदाबाद (गुजरात)– समानांतर सरकार का नाम 'आज़ाद सरकार'

**तृतीय चरण**
- भूमिगत एवं क्रांतिकारी स्वरूप
- नेतृत्वकर्ता– अच्युत पटवर्द्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण इत्यादि
- बंबई के विभिन्न केंद्रों से रेडियो का गुप्त रूप से संचालन (ऊषा मेहता द्वारा सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण का आरंभ किया गया)

इकाई

20

# 1942–47 के बीच का भारत
# (India during 1942-47)

- सी.आर. फार्मूला, 1944 ई.
- देसाई-लियाकत समझौता
- वेवेल योजना, 1945 ई.
- शिमला सम्मेलन
- भारत में आम चुनाव
- आज़ाद हिंद फौज
- लाल किला मुकदमा, 1945 ई.
- शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, 1946 ई.
- कैबिनेट मिशन, 1946 ई.
- संविधान सभा का चुनाव, 1946 ई.
- प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
- अंतरिम सरकार का गठन
- एटली की घोषणा
- बाल्कन योजना
- माउंटबेटन योजना
- भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन

## सी.आर. फार्मूला (C.R. Formula), 1944 ई.

**सी.आर. फार्मूला, 1944 ई.** → कॉन्ग्रेस व मुस्लिम लीग समझौता योजना

- स्वतंत्रता की मांग व अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग कॉन्ग्रेस का सहयोग करे
- विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार इत्यादि मामलों पर आपसी समझौता
- युद्धोपरांत पश्चिमोत्तर व पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा निर्धारण हेतु कमीशन का गठन
- द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के चलते जिन्ना द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया
- राजनीतिक दलों को प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता

- संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिये कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी किये जा रहे थे। सी. राजगोपालचारी कॉन्ग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता करने के समर्थक थे। 10 जुलाई, 1944 को गांधीजी की स्वीकृति से उन्होंने देश में विद्यमान सांप्रदायिक समस्या को दूर करने के उद्देश्य से कॉन्ग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौतों की एक योजना भी प्रस्तुत की।
- सी. राजगोपालाचारी के नाम से बनी इस योजना को सी.आर. फार्मूला कहा गया, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–
  - ➤ मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा कॉन्ग्रेस के साथ मिलकर अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग करे।
  - ➤ द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद भारत के मुस्लिम बहुल उत्तर-पश्चिमी एवं उत्तर-पूर्वी भाग की सीमा का निर्धारण करने हेतु एक कमीशन का गठन किया जाए।

- इस सम्मेलन में जिन्ना ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् के सभी मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम लीग से ही चयनित किये जाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि जिन्ना के अनुसार मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रस्ताव को वेवेल ने स्वीकार नहीं किया तथा कॉन्ग्रेस ने भी जिन्ना की इस अनुचित और अलोकतांत्रिक मांग का विरोध किया। इस प्रकार, यह प्रस्ताव ही सम्मेलन की असफलता का कारण बना।
- वेवेल की कार्यकारिणी परिषद् में जब सदस्यों की नियुक्ति की गई तब 14 में से 7 सदस्य मुस्लिम वर्ग से थे। ध्यातव्य है कि इस समय में भारत की जनसंख्या का केवल 25 प्रतिशत भाग ही मुसलमान था, इसके उपरांत भी मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया।
- ध्यातव्य है कि कॉन्ग्रेस ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर स्थान देना तो किसी तरह स्वीकार कर लिया, किंतु वे मुस्लिम लीग के मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि होने के दावे को स्वीकार न कर सके।
- वेवेल ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए मुसलमानों को वीटो का अधिकार प्रदान कर दिया, जिससे मुस्लिम वर्ग को किसी प्रस्ताव पर आपत्ति होने पर इसे दो तिहाई बहुमत से पारित करना अनिवार्य होगा।
- इसके अतिरिक्त, कॉन्ग्रेस द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के लिये प्रस्तावित नामों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों ने भी आपत्ति प्रस्तुत की तथा पृथक् नामांकन का अधिकार मांगा। अंततः 14 जुलाई, 1945 को वेवेल ने इस सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया।
- शिमला सम्मेलन के असफल होने के उपरांत भी इस सम्मेलन का एक परिणाम यह हुआ कि इसने जिन्ना की स्थिति को और भी अधिक सुदृढ़ कर दिया, जो 1945-46 ई. के चुनावों से स्पष्ट होता है।

## भारत में आम चुनाव (General Elections in India)

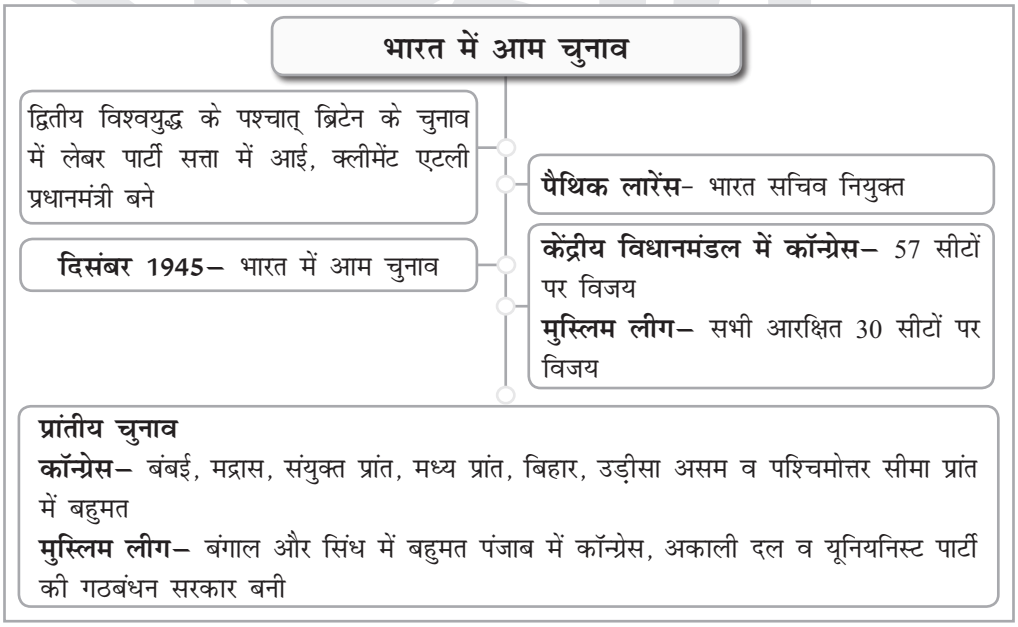


- 1945 ई. में ब्रिटेन में सम्पन्न हुए चुनावों में लेबर पार्टी की जीत हुई तथा क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। एटली ने सर पैथिक लॉरेंस को भारत-सचिव के पद पर नियुक्त किया।

इकाई

21

# समाजवादी आंदोलन
# (Socialist Movement)

- पृष्ठभूमि
- वामपंथी विचारधारा के उदय के कारण
  - ➤ उद्देश्य एवं कार्यक्रम
  - ➤ घोषित कार्यक्रम
- भारत में साम्यवाद के विकास के चरण
- वामपंथी विचारधारा का योगदान
- मूल्यांकन/असफलता के कारण
- कॉन्ग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना
- कुछ आरंभिक समाजवादियों का संक्षिप्त परिचय
- कॉन्ग्रेस समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम/ विचारधारा
- सफलताएँ/राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव
- कॉन्ग्रेस समाजवादी पार्टी और कॉन्ग्रेस
- कॉन्ग्रेस समाजवादी पार्टी और साम्यवादी
  - ➤ नेहरू और सुभाष की समाजवादी विचारधारा : एक तुलना
- अन्य समाजवादी दल
- निष्कर्ष

## पृष्ठभूमि (Background)

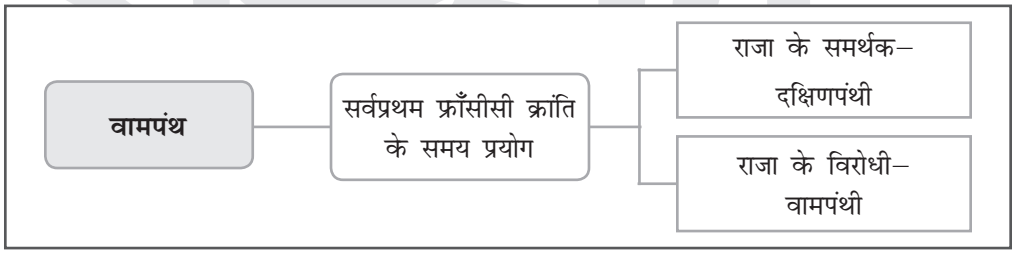


- भारत में वामपंथी विचारधारा के उद्‌भव एवं प्रसार के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति 1917 ई. की रूसी क्रांति की सफलता को माना जाता है। रूस में विश्व के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की गई। रूस के नवीन शासकों द्वारा चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से अपने उपनिवेशवादी अधिकारों को छोड़ने की घोषणा तथा पूरे शासन व्यवस्था में शोषितों को महत्त्वपूर्ण स्थान देने से उपनिवेशों की शोषित जनता में यह विचारधारा लोकप्रिय हुई।
- 1920 ई. के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर वामपंथी विचारधारा का इतना प्रभाव महसूस किया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र में बदलाव आ गया। अब राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में 'राष्ट्रवाद' तथा आर्थिक मुक्ति के लिये संघर्ष के रूप में 'समाजवाद', दोनों के उद्देश्य एक-दूसरे के साथ जुड़ गए थे।
- ब्रिटिश सरकार वामपंथी विचारों के विरुद्ध थी। साम्राज्यवाद विरोधी प्रकृति के कारण वामपंथी विचारों का भारत में स्वागत किया गया। रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना ने साम्राज्यवाद से जूझ रहे एशियाई देशों में उत्साह भर दिया। इन देशों की जनता भी 'मुक्ति' की चाह में एक नई लड़ाई के लिये तैयार हो गई।

- शिक्षित मध्य वर्ग का वह अंग, जिसने उन्नीसवीं सदी की उदारवादी नीति में धीरे-धीरे अपना विश्वास खो दिया था और जिसे अब मंदी, बेकारी स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही थी, वह भी इस विचारधारा की ओर आकर्षित होने लगा तथा व्यक्तिगत त्याग, नवीन क्रांतिकारी-वामपंथी विचारधारा में उसका रुझान बढ़ गया।
- शिक्षित लोगों का एक ऐसा अतिवादी वर्ग भी वामपंथ की ओर आकर्षित हुआ, जो गांधी की क्षीण और धीमे सुधार की नीति से असंतुष्ट था, जो गांधी जी को 'प्रतिक्रियावादी शक्तियों का नेता' मानता था तथा उनकी 'अहिंसा' की नीति को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में बाधा समझता था। वस्तुतः ये उस 'स्वराज' की अवधारणा को भी, जिसका सामाजिक और आर्थिक आधार न हो, एक निष्फल उपाय मानते थे।

इन परिस्थितियों ने वह अनुकूल परिवेश निर्मित किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वामपंथी विचारधारा के बीज अंकुरित और विकसित हुए।

## उद्देश्य एवं कार्यक्रम (Objectives and Programmes)

वामपंथी/समाजवादी दलों की रणनीतियों के निम्नलिखित उद्देश्य स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं–

- महिला और युवा वर्गों के साथ-साथ स्वयंसेवकों को संगठित करना और उन्हें पार्टी में शामिल करना।
- मज़दूरों और किसानों की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना तथा उन्हें स्वाधीनता प्राप्ति व समाजवाद की स्थापना हेतु संचालित आंदोलन के लिये संगठित करना।
- अंग्रेज़ी सरकार द्वारा भारत को साम्राज्यवादी युद्धों में सम्मिलित करने के प्रयास का विरोध करना।
- संवैधानिक मामलों में अंग्रेज़ी सरकार के साथ किसी भी प्रकार के समझौते का विरोध करना।
- उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का अधिकार स्थापित करना तथा उनका उपयोग जनहित के कार्यों हेतु सुनिश्चित करना।

## घोषित कार्यक्रम (Declared Programmes)

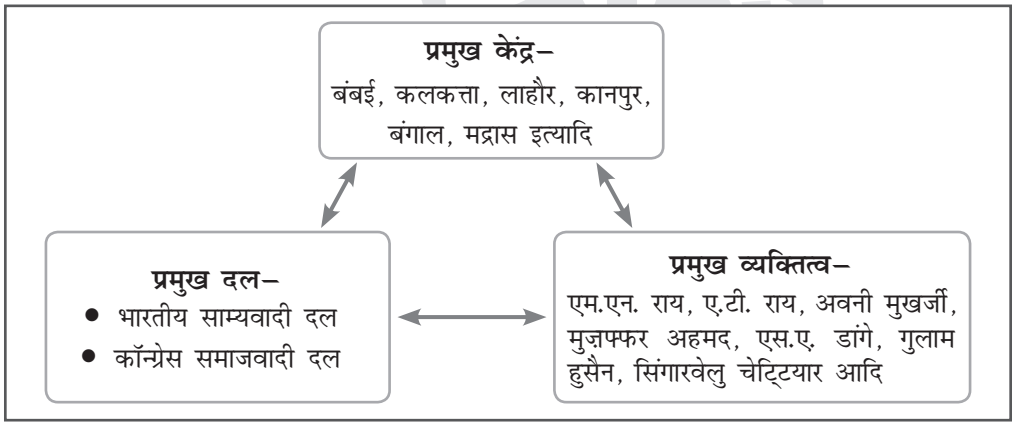


- राज्य की संपूर्ण शक्तियों या सत्ता का जनता को हस्तांतरण करना।
- देश का योजनाबद्ध आर्थिक विकास सुनिश्चित करना तथा उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना।
- देश के प्रमुख उद्योगों, जैसे– इस्पात, कपड़ा, रेलवे, बैंक, जहाज़रानी आदि का तीव्रतापूर्वक राष्ट्रीयकरण करना।

इकाई

22

# ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास
# (Constitutional Development in British India)

- परिचय
- ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में संवैधानिक विकास
  - रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
  - 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम
  - पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
  - 1786 का अधिनियम
  - चार्टर अधिनियम, 1793
  - चार्टर अधिनियम, 1813
  - चार्टर अधिनियम, 1833
  - चार्टर अधिनियम, 1853
- क्राउन के शासनकाल में संवैधानिक विकास
  - भारत शासन अधिनियम, 1858
  - भारत परिषद् अधिनियम, 1861
  - भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
  - भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 : मार्ले-मिंटो सुधार
  - भारत शासन अधिनियम, 1919 : मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
  - भारत शासन अधिनियम, 1935

## परिचय (Introduction)

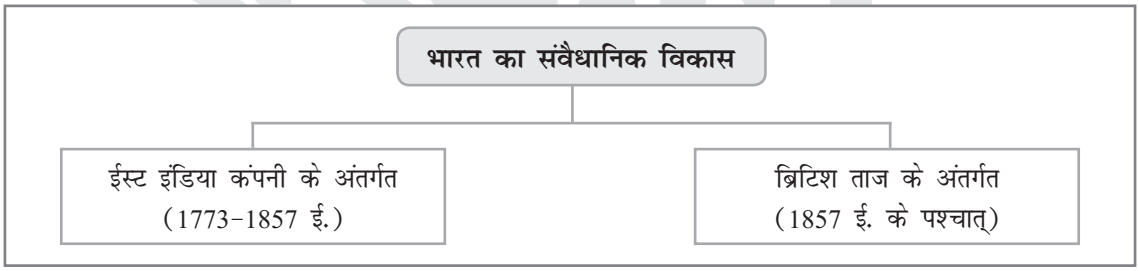


- ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटिशकालीन संवैधानिक विकास की यात्रा 1599 ई. से आरंभ होती है, जब महारानी एलिज़ाबेथ ने एक राजलेख द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पंद्रह वर्षों के लिये व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया, जिसे 1599 ई. के चार्टर के रूप में भी जाना जाता है।
- इस चार्टर द्वारा कंपनी को समस्त पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया गया और कंपनी की समस्त शक्तियाँ एक 24 सदस्यीय परिषद् में निहित कर दी गईं।
- आगे चलकर '1726 ई. के चार्टर' द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को विधि-निर्माण की शक्ति सौंपी गई।
- 1765 ई. की इलाहाबाद संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (राजस्व वसूलने का अधिकार) प्राप्त हुई।

- इस प्रकार, 1781 ई. का संशोधनात्मक अधिनियम कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम था।
- इस अधिनियम के तहत भारत में सरकार को सहयोग प्रदान करने, राजस्व के नियमित संकलन तथा कानून निर्माण व इसके क्रियान्वयन में भारतीयों की सामाजिक-धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखने पर बल दिया गया।

## पिट्स इंडिया एक्ट, (Pitt's India Act),1784

**पिट्स इंडिया एक्ट, 1784**

**उद्देश्य–** कंपनी पर ब्रिटिश संसद का प्रभाव बढ़ाना

**प्रमुख प्रावधान–**
- 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) का गठन, वाणिज्यिक विषयों के अतिरिक्त सभी मामले (सैनिक, असैनिक, राजस्व) नियंत्रण बोर्ड के अधीन किया गया
- भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल व उसकी तीन सदस्यीय परिषद् में केंद्रित, देशी राजाओं से युद्ध व संधि संबंधित विषयों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना अनिवार्य
- कंपनी मामलों व उसके भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण

- इस एक्ट के पहले फॉक्स द्वारा ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया बिल पेश किया गया, जो हॉउस ऑफ कॉमन्स में तो पारित हो गया, किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हो सका फलस्वरूप, लॉर्ड नार्थ और फॉक्स की मिली-जुली सरकार को त्याग-पत्र देना पड़ा।
- इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया तथा 1784 ई. में इसे पारित किया गया।
- दरअसल, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को और सशक्त करने तथा रेग्युलेटिंग एक्ट व एक्ट ऑफ सेटलमेंट की कमियों को दूर करने के लिये पारित किया गया।
- इस एक्ट के तहत छह सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) का गठन किया गया तथा वाणिज्यिक विषयों के अतिरिक्त सभी सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधी मामलों को इसके अधीन कर दिया गया। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्य अनुबंधित सेवक ही होंगे।
- गवर्नर जनरल की परिषद् की सदस्य संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई। इनमें से एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया।
- बंबई तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के पूर्णतः अधीन कर दिया गया।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि का अधिकार नहीं था।
- भारत में अंग्रेज़ अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिये इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई।
- भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत प्रदेशों को पहली बार 'ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश' के नाम से पुकारा गया।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। इस प्रकार कंपनी मामलों व उसके भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया तथा शासन की यह द्वैध प्रणाली (एक कंपनी और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा) 1858 ई. तक चलती रही।

इकाई

23

# देशी रियासत
## (Princely State)

- देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन
- देशी रियासतों के प्रति कॉन्ग्रेस की नीति व आंदोलन का विकास
- रियासतों का एकीकरण
- भूदान आंदोलन

## देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन (Prajamandal Movement in Princely States)

**प्रजामंडल आंदोलन**

- **तत्कालीन भारत–** लगभग 600 रियासतों में एक तिहाई जनसंख्या
- **शासक–** ब्रिटिशों के अधीनस्थ मित्र, निरंकुश व सामंतवादी
- **सबसे बड़ी रियासत–** हैदराबाद **सबसे छोटी रियासत–** बिलवारी
- **प्रजामंडल की स्थापना–** 1920 ई. के असहयोग आंदोलन के दौरान विभिन्न रियासतों में
- **उद्देश्य–** रियासतों में प्रशासन का उदारीकरण करना

- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार तथा लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों एवं उत्तरदायी शासन के प्रति बढ़ती राजनीतिक चेतना ने देशी रियासतों की जनता में भी जागरूकता को बढ़ाया। साथ ही, बीसवीं सदी के प्रथम एवं द्वितीय दशक के दौरान देशी रियासतों में ब्रिटिश भारत से भागकर आए हुए राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने भी जनता के बीच राजनीतिक चेतना जगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ब्रिटिश भारत की लगभग 600 देशी रियासतों में देश की एक तिहाई जनसंख्या निवास करती थी। इन रियासतों के शासक ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ मित्र की भाँति कार्य करते थे। हैदराबाद सबसे बड़ी एवं बिलवारी सबसे छोटी रियासत थी।
- 1920 ई. के असहयोग आंदोलन के दौरान विभिन्न रियासतों की प्रजा द्वारा प्रजामंडलों (राज्य की जनता के सम्मेलनों) की स्थापना की गई। इन प्रजामंडलों का उद्देश्य देशी रियासतों के प्रशासनिक उदारीकरण एवं लोकतंत्र की स्थापना पर बल देना था।
- 1920 ई. के नागपुर अधिवेशन में कॉन्ग्रेस द्वारा सर्वप्रथम देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की गई। साथ ही, एक प्रस्ताव पारित कर रियासतों के राजाओं से शीघ्र ही उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की गई एवं वहाँ की जनता को कॉन्ग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता प्रदान की गई, किंतु उन्हें कॉन्ग्रेस के नाम पर किसी प्रकार का आंदोलन चलाए जाने की अनुमति नहीं दी गई।

| कॉन्ग्रेस अधिवेशन | |
|---|---|
| कॉन्ग्रेस का नागपुर अधिवेशन (1920 ई.) | कॉन्ग्रेस द्वारा रियासतों के राजाओं से उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की गई |
| अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन (1927 ई.) | बलवंत राय मेहता (सचिव) |
| कॉन्ग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929 ई.) | देशी रियासतें शेष भारत से अलग नहीं रह सकती स्वीकार किया गया। |
| हरिपुरा अधिवेशन (1938 ई.) | पहली बार रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत दोनों के लिये पूर्ण स्वराज की बात की गई |
| अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस लुधियाना अधिवेशन (1939 ई.) | जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की |

## रियासतों का एकीकरण एवं सरदार पटेल की भूमिका (Unification of Princely State and Role of Sardar Patel)

**आंदोलन का विकास**

**3 जून, 1947 माउंटबेटेन योजना–**
- रियासतों की सर्वश्रेष्ठता समाप्त।
- भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होना अनिवार्य

**भारतीय रियासत विभाग की स्थापना–**
- 5 जुलाई, 1947 (बल्लभ भाई पटेल कार्यवाहक मंत्री) रियासतों की विलय प्रक्रिया।
  - ➤ केंद्रशासित इकाई या पड़ोसी प्रांत में विलय
  - ➤ कुछ रियासतों को मिलाकर वृहद् प्रशासनिक संघ का निर्माण

**15 अगस्त, 1947–** जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर के अतिरिक्त अधिकांश रियासतें भारतीय संघ में शामिल

- ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और देशी रियासतें सम्मिलित थे। भारतीय प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जबकि देशी रियासतों पर राजाओं का शासन था। देशी रियासतों ने ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर रखा था, जिसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों को देखते थे।
- भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को भी अपनी अधीनता से मुक्त कर दिया। इसी क्रम में 5 जुलाई, 1947 को अलग से भारतीय रियासत विभाग की स्थापना की गई एवं इसका कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। वी.पी. मेनन इनके सचिव थे।
- भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, अपितु इस फैसले को लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया। ब्रिटिश सरकार के इस अलोकतांत्रिक निर्णय से अखंड भारत के अस्तित्व के लिये खतरा मंडराने लगा।
- इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् कई रियासतों के द्वारा आज़ाद रहने की घोषणा ने भारत के कई छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त होने की समस्या को उत्पन्न कर दिया था।

इकाई

24

# भारत में सांप्रदायिकता का विकास
# (Development of Communalism in India)

- सांप्रदायिकता
- भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण
- आरंभ एवं विकास
- हिंदू सांप्रदायिकता
- पाकिस्तान की मांग तथा भारत विभाजन

## सांप्रदायिकता (Communalism)

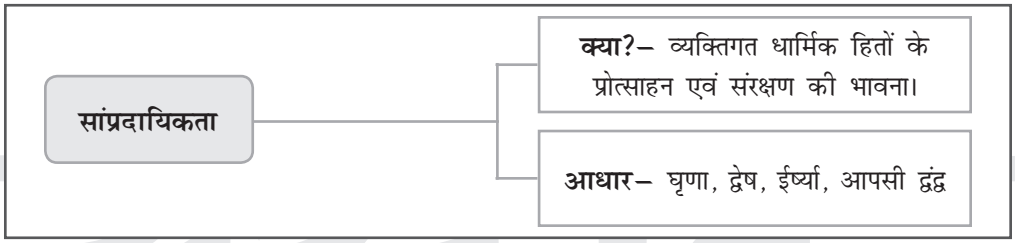


- सांप्रदायिकता एक ऐसी मान्यता है, जिसके अनुसार धर्म, समाज का आधार एवं इसके विभाजन की आधारभूत इकाई तैयार करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह के व्यक्तिगत धार्मिक हितों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन की भावना निहित होती है।
- वास्तव में व्यक्ति की चेतना जब राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय आदि आधार पर प्रकट होती है तो इसे सामुदायिक चेतना कहते हैं। किंतु, जब यही चेतना धार्मिक आधार पर प्रकट होती है तो उसे सांप्रदायिक चेतना या सांप्रदायिकता कहते हैं।
- दरअसल जब एक ही पूजा पद्धति, रीति-रिवाज एवं संस्कृति को मानने वाले लोग धार्मिक आधार पर संगठित होकर दूसरे संप्रदाय से अपनी भिन्नता प्रदर्शित करते हुए श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तब सांप्रदायिकता जैसी नकारात्मक विचारधारा का जन्म होता है। यह समाज में प्रतिस्पर्द्धी धार्मिक चेतना के रूप में पहचानी जाती है।
- स्पष्ट है कि सांप्रदायिकता सर्वमान्य सत्य एवं भाईचारे की भावना के विरुद्ध धर्म और संप्रदाय के आधार पर परस्पर घृणा, द्वंद्व, ईर्ष्या तथा द्वेष जैसी बुराइयों को जन्म देती है। इन्हीं बुराइयों से ग्रसित व्यक्ति में अपने धर्म के प्रति अंध-भक्ति तथा अन्य धर्म व उसके अनुयायियों के प्रति विद्वेष की भावना का विकास होता है। व्यापक हिंसा, अलगाव, सामाजिक असंतुलन जैसे विकार समाज एवं राष्ट्र को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।
- किसी भी समाज या राष्ट्र में सांप्रदायिक विचारधारा के उद्भव एवं प्रसार के मुख्य तीन क्रमागत चरण होते हैं, जो इस प्रकार हैं–
  - (i) **हितों की समानता (Equality of Interests) :** समाज में सांप्रदायिकता के उद्भव में पहला स्थान इस भावना या विश्वास का है कि एक ही धर्म के अनुयायियों के हित एक समान होते हैं, इसलिये, समान हितों की प्राप्ति के लिये लोग धार्मिक आधार पर संगठन का निर्माण करते हैं।

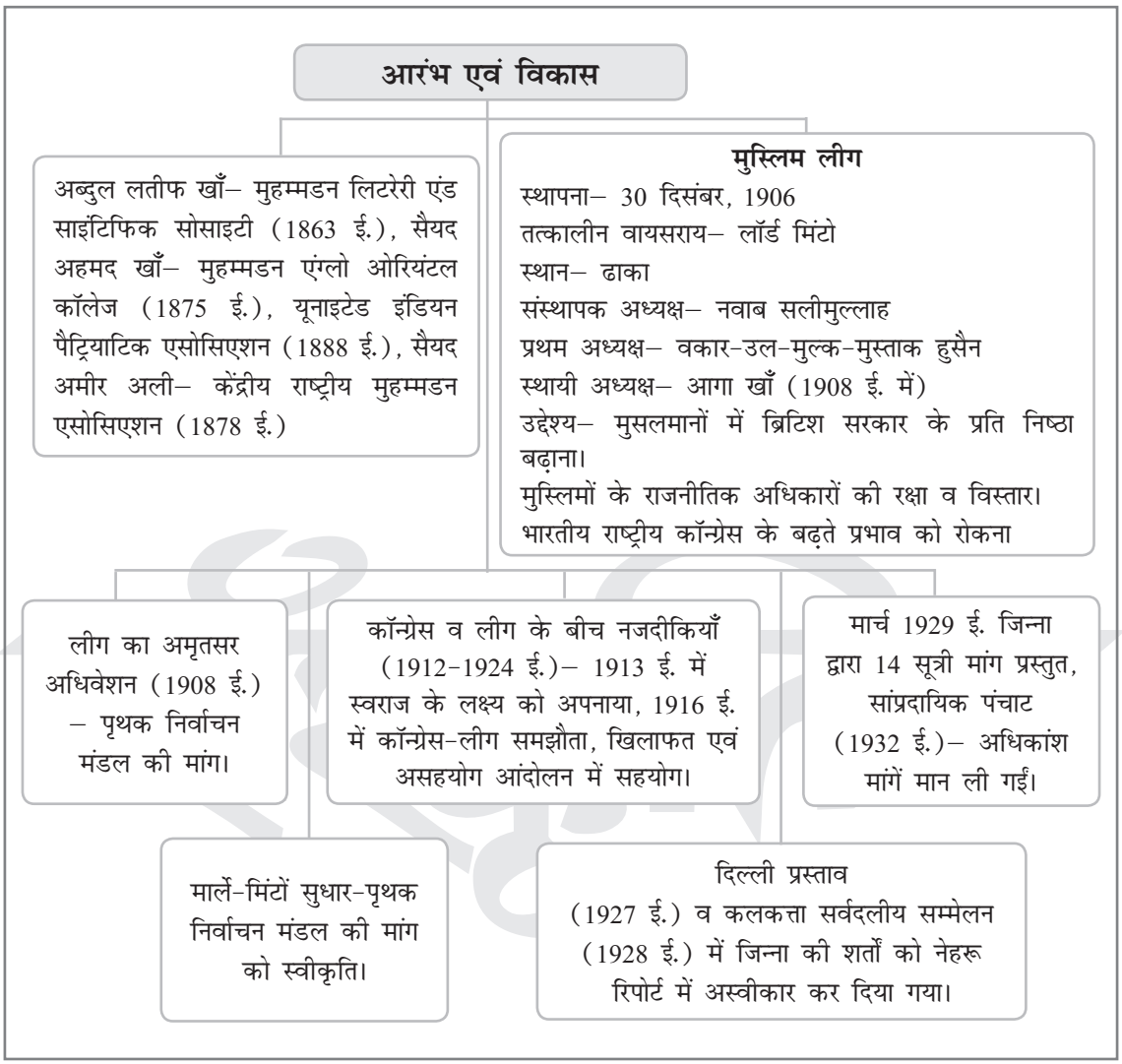


- हालाँकि, 1857 ई. के विद्रोह के समय हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एकजुट होकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, किंतु इसके पश्चात् स्थितियों में परिवर्तन आया तथा अंग्रेज़ों द्वारा 'फूट डालो राज करो' की नीति के माध्यम से भारत में अपने हितों की पूर्ति की गई। इसके लिये उनके द्वारा समय-समय पर 'सांप्रदायिक कार्ड' का प्रयोग किया गया।
- 1857 ई. के विद्रोह के पश्चात् मुस्लिमों ने अपने हितों की समानता के आधार पर स्वयं को संगठित करने का प्रयास किया। इसमें दो विचारधारा वाले लोग थे, जिसमें एक वे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को मुस्लिमों का शोषक माना तथा उसका विरोध किया जैसे वहाबी आंदोलन और देवबंद आंदोलन। हालांकि, इनके विरुद्ध सरकार ने व्यापक दमन का सहारा लिया। इसके अतिरिक्त, दूसरा गुट जो कि ब्रिटिश सत्ता की स्थिरता के प्रति आश्वस्त था एवं उसके सहयोग से मुस्लिमों के हितों की पूर्ति के लिये प्रयासरत था, जैसे– सर सैयद अहमद खाँ और उनका अलीगढ़ आंदोलन।